

# लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 15. 4. 1989

की

कार्य-सूची



# लखनऊ विकास प्राधिकरणा

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 अग्रेत, 1989  
में विचारणीय विषयों की कार्यसूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
01	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	08
03	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक, 1989-90	15
04	ता-प्लास स्थित 144 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	16
05	लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवन/भूखण्डों के सम्बन्ध में विवरण।	21
06	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: । र

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ।। फरवरी, 1989  
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ।। फरवरी, 1989  
का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | श्री अजय विक्रम सिंह  | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।             |
| 2. | श्री अरुण मिश्र       | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं<br>प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ। |
| 3. | श्री विष्णु स्वरूप    | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>आवास एवं नगर विकास विभाग।          |
| 4. | श्री अजित सेठ         | ज़िलाधिकारी, लखनऊ।   |
| 5. | श्री श्रीकान्त सिन्हा | उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,<br>वित्त विभाग।                          |
| 6. | श्री रन0आर0वर्मा      | नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।  |
| 7. | श्री र0 त्रिपाठी      | मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जलनिगम<br>के स्थान पर।                        |
| 8. | डा0 वी0रन0सन्ना       | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |

अन्य उपस्थिति:

- |    |                      |                             |
|----|----------------------|-----------------------------|
| 1. | श्री दिवाकर त्रिपाठी | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
|----|----------------------|-----------------------------|

x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या:। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 1988 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधनों के साथ की गई:-

1. अनुपूरक विषय संख्या:6 पर निर्णय निम्नवत् संशोधित किया गया:-

§अ§ विचारोपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गई कि प्रस्तावित शर्तों में यह शर्त भी रहेगी कि प्रत्येक कक्षा में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश हेतु दो स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

§ब§ स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में उपसमिति ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी जिनके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना है।

2. डा0 वी0रन0सन्ना, सदस्य द्वारा प्रस्तुत विषय पार्क रोड पर भवनों के निर्माणों से सम्बन्धित टिप्पणी पर विस्तृत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियोजन और महायोजना सम्बन्धी मानदण्डों का शिथिलीकरण किया जाना उचित नहीं था। अब तक स्वीकृत मानचित्रों के पुनीवलोकन की कार्यवाही की जाये और तबतक वहाँ सभी निर्माण स्क्रवा दिये जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण के परीक्षण एवं पुनीवलोकन हेतु उपसमिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. डा0 वी0रन0सन्ना, सदस्य
2. श्री जे0पी0भार्गव, मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक
3. श्री रम0एस0त्यागी, मुख्य नगर नियोजक

यह समिति निम्नांकित बिन्दुओं पर परीक्षण करके आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी:-

- 11] तत्कालीन उपाध्यक्ष के निर्णय में किस हद तक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, यदि नियमानुसार किया जा सकता है।
- 12] पूर्व में स्वीकृत 5 भवन मानीचित्रों में यदि पुनीवलोकन किया जाना सम्भव है, तो किस आधार पर और किस सीमा तक।
- 13] प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1987 के विशेष प्रस्ताव संख्या: 2 पर जो निर्णय लिया गया था उसे दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 की बैठक में निम्नवत् संशोधित किया गया था:-

"निर्णय लिया गया कि हज़रतगंज स्थित नवल किशोर रोड पर एल0आई0सी0 की प्रस्तावित तेरह मंजिला बिल्डिंग का भवन चित्र तथा हज़रतगंज क्षेत्र में छतर-मंजिल कार्यलय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 1 से लारेटोकानवेन्ट तक अन्य कोई भी बहुमंजिली बिल्डिंग का भवन चित्र स्वीकृत करने से पूर्व प्राधिकरण का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।"

सब-कमेटी परीक्षण करके यह भी सुझाव दे कि उक्त निर्णय में उल्लिखित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से क्षेत्र भी उक्त निर्णय की सीमा में शामिल किये जाने चाहिये।

- विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 अक्टूबर एवं 27 अक्टूबर, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
- निर्णय: नोट किया गया।
- विषय संख्या: 3 वीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित आख्या।
- निर्णय: वीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत भवन निर्माण की प्रगति से अवगत कराने हुए उपाध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि शासन द्वारा मूल लक्ष्य 2,500 भवनों का निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 3257 भवनों का निर्माण करके 130 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। बाद में नवम्बर, 1988 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 4,000 अतिरिक्त भवनों के निर्माण की ईच्छा व्यक्त की गई जिसके विरुद्ध 50 प्रतिशत भवनों का निर्माण किया जा चुका है। जिस समय यह अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया उसके बाद भूमि और वित्तीय प्रबन्ध में भी कुछ समय लगा। अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि गत वर्षों में आवन्टित किये गये और कृष्णा दिये गये भवनों की विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे कि कृष्णे की स्थिति असन्तोषजनक प्रतीत होती है। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रकार के भवनों के आवन्टन, कृष्णे और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण प्रत्येक बैठक के रजिस्ट्रार के साथ प्रस्तुत किया जाता रहे।
- विषय संख्या: 4 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या।
- निर्णय: अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि तालिका में सभी प्रकार के भवनों के आवन्टन एवं कृष्णे की स्थिति योजनावार दर्शायी जाया करे।

Pran

विषय संख्या: 5

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्जन अधिनियम की धारा-4 एवं धारा-6 के सम्बन्ध में दिनांक 11-1-89 को क्शमीरा सिंह के वाद में दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

निर्णय :

विस्तृत रूप से विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

- § 1 § भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 § 4 § में पूर्वगामी प्रभाव से संशोधन करके स्पष्टीकरण जोड़ने हेतु जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, प्रश्नगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त संशोधन शीघ्र करने हेतु शासन से पुनः अनुरोध कर दिया जाए।
- § 2 § प्राधिकरण के विधि विभाग द्वारा तुरन्त उन समस्त तीस मामलों में प्रति शपथ-पत्र § काउन्टर रफ़ीडेविट § दाखिल कराया जाये।
- § 3 § बोर्ड के निर्णयानुसार इन सहकारी समितियों को यथा-सम्भव भूमि के आवन्तन की कार्यवाही की जाये।
- § 4 § शेष समायोजन के मामलों में निर्णय के लिये उपसमिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. उपाध्यक्ष             | अध्यक्ष |
| 2. सचिव                  | सदस्य   |
| 3. डा० वी० रन० खन्ना     | सदस्य   |
| 4. डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा | संयोजक  |

उपरोक्त उपसमिति निर्णय लेकर शीघ्र ही अपनी आव्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या: 6

नवल किशोर रोड स्थित जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

हज़रतगंज में कोई पब्लिक पार्किंग स्थल उपलब्ध न होने को दृष्टगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र पर निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाये:-

- § 1 § भू-आच्छादन 30 प्रतिशत § भूखण्ड के क्षेत्रफल का § तक रखने की अनुमति दी जाये।
- § 2 § अनुमन्य रफ० र० आर० की सीमान्तगत भवन की ऊचाई 80 फिट रखने की स्वीकृति दी जाय।
- § 3 § पब्लिक पार्किंग हेतु डबुल बेसमेन्ट बनाकर अधिकतम फ्लोर ररिया भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय। यह पार्किंग क्षेत्रफल, उसके अतिरिक्त होगा जो जीवन बीमा निगम के भवन की पार्किंग आवश्यकताओं हेतु वानिष्ठ है।
- § 4 § जीवन बीमा निगम पब्लिक पार्किंग स्थल और अपने पार्किंग क्षेत्र का प्रवेश और निकास बिल्कुल अलग-अलग रहेगें ताकि एक दूसरे से कोई भ्रम या असुरक्षा न उत्पन्न हो।
- § 5 § भारतीय जीवन बीमा निगम इस प्रकरण से सम्बन्धित उच्च न्यायालय में लिखित अपनी रिट याचिका वापस ले लें तथा प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में अधिग्रहण की कार्यवाही वापस ले ली जाय।
- § 6 § इस पब्लिक पार्किंग स्थल हेतु प्राधिकरण द्वारा स्वचालित इन्ट्री, रक्सिट व भुगतान सिस्टम लगाया जायेगा।

इस निर्णय को दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

Rajan

विषय संख्या: 8 हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 9 गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-1 में हडको के वित्तीय सहयोग से 100 भवनों का निर्माण कार्य।

निर्णय: विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और निर्देश दिया गया कि चूँकि शासन की गारन्टी प्राप्त हो गई है अतएव बैंक गारन्टी की आवश्यकता नहीं है।

विषय संख्या: 10 कानपुर रोड योजना के तृतीय चरण में अन्सल हाउसिंग रेण्ड फ़ाइनेन्स सर्वे लीजिंग क0लि0 को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि :-

§1§ मूल अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

§2§ बुक-रेडजस्टमेन्ट की स्वीकृति न दी जाए, अन्य सामान्य ठेकेदारों के लिये प्रचलित शर्तों के समान ही कार्यवाही की जाए।

विषय संख्या: 11 गोमती नगर योजना में मे0 इंडियन होटल§ताज ग्रुप§ को होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार विमर्श के दौरान मे0 इंडियन होटल के प्रतिनिधि को बोर्ड के समक्ष बुलाया गया। प्रतिनिधि ने बताया कि प्रश्नगत 25 एकड़ भूमि को वे मनोरंजन के अभिप्राय से पार्क के रूप में विकीसत करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट आश्वासन दिया कि यह मनोरंजन पार्क आम जनता के लिये खुला रहेगा और उसमें प्रवेश तथा निकास द्वार होटल के प्रवेश एवं निकास द्वार से अलग बनाये जायेंगे।

§2§ वे उक्त मनोरंजन स्थल को होटल ओपेन होने के पूर्व तक ही विकीसत कर देंगे।

§3§ इस भू-भाग की लैण्ड स्कीपिंग सम्पूर्ण 300 एकड़ की समस्पता में की जायेगी।

§4§ उक्त स्थल पर प्रवेश हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारित की जायेगी।

Raiou

- विषय संख्या: 12 रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट बििल्डर्स को आवान्टित भूमि की दर के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 13 पुलिस विभाग को गोमती नगर योजना में आवासीय प्रयोजन हेतु आवान्टित भूमि के टोकेन लीज़रेन्ट के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: 14 सीतापुर रोड योजना में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान को आवान्टित भूमि के टोकेन लीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- विषय संख्या: 15 राज्य सम्पत्ति विभाग को आवान्टित भूमि/भवन के सम्बन्ध में टोकेन लीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
- विषय संख्या: 16 महापालिका में कार्यरत सफ़ाई कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को आसान किश्तों में भवन आवान्टित किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रशासक नगर महापालिका से पूछ लिया जाये कि वे प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कालोनी में क्या आवान्टन हेतु प्राथमिकता देंगे।
- विषय संख्या: 17 ₹0 5.00 करोड़ का आपरेशनल लोन लिये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- विषय संख्या: 18 भूखण्ड संख्या: 424 न्यु टी0 सिविल लाइन के सम्बन्ध में उप-सीमा की रिपोर्ट।
- निर्णय : ट्रस्ट भूखण्डों पर बििल्डिंग बाइ-लाज़ तथा मास्टर प्लान के प्राविधानों को दृष्टगत रखते हुए ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति प्रदान की जाये परन्तु शर्त यह होगी कि ट्रस्ट भूमि पट्टा धारक को बहु-आवासीय इकाइयों की अनुमति सहित नया पट्टा लेना होगा जिसके लिये प्रीमियम और लीज़रेन्ट सम्बन्धी वही नियम लागू होंगे जो कि नये नजूल पट्टों के लिये लागू होते हैं।


Signature


- विषय संख्या: 19 वर्ष 1985 में आई भीषण बाढ़ से गोमती नगर योजना में भवनों के फर्श क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्देशित किया गया कि विषय आगामी बैठक में ऐसे सभी मामलों के पूर्ण विवरण के साथ रखा जाये। साथ में समिति की रिपोर्ट भी रखी जाये।
- विषय संख्या: 20 अर्जन विभाग में नायब तहसीलदार के एक पद के सृजन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त पद हेतु शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान वही रहेगें जो राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के लिये निर्धारित है और उसके अनुसार ही पुनरीक्षित होते रहेगें।
- विषय संख्या: 21 श्रीमती उषा प्रदीप, 22/4, गोखले मार्ग, हज़रतगंज लखनऊ पर आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की प्रस्तावित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- विषय संख्या: 22 अमीनाबाद, लखनऊ स्थित हनुमान मन्दिर §महावीर जी मन्दिर§ के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या: 23 महानगर योजना स्थित भूखण्डों के लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में केवल ट्रान्सफर चार्ज लिये जायें। लेवी के प्रयोजन के लिये अर्वाधि विक्रय §रिसेल § की तिथि से मानी जायगी।
- विशेष प्रस्तावः। भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा-4 एवं 6 की अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श के दौरान यह अनुभव किया गया कि एतद् विषयक लम्बित रिट-याचिकाओं की पैरवी आवश्यकताओं एवं सहकारी समितियों को आवन्तन तथा भूमि समायोजन के मामलों के निपटारे हेतु डा० ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवायें प्राधिकरण के लिये उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगीं। यह निर्णय लिया गया कि डा० वर्मा का कार्यकाल पूर्व स्वीकृत अर्वाधि के उपरान्त छः माह के लिये पूर्व शर्तों पर बढ़ा दिया जाये।

Raiou


विशेष प्रस्ताव:2

यह भी निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के वैभव सण्ड मे प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन एवं ग्रुप-हाउसिंग का क्षेत्र "नेहरू इनक्लेव" के नाम से जाना जायेगा।

  
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥  
सचिव

  
॥ अरुण मिश्र ॥  
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

  
॥ अजय विक्रम सिंह ॥  
अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

तमनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 की अनुपालन बाब्या

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
01. तमनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्तूबर, 1988 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण	<p>1. अनुपूरक विषय संख्या:6 पर निम्नांकित संशोधन किये गये:-</p> <p>॥अ॥ प्रत्येक कक्षा में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश हेतु दो स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।</p> <p>॥ब॥ स्कूल भूखण्डों के आवन्तन के सम्बन्ध में उपसमिति ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी जिनके द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाना है।</p> <p>2. पार्क रोड से सम्बन्धित भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में एक उपसमिति गठित की गई जो विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षणोपरान्त अपनी आब्या प्रस्तुत करेगी।</p>	<p>पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।</p> <p>स्कूल भूखण्डों के आवन्तियों को इस निर्णय से अवगत कराते हुए परिपत्र भेज दिये गये हैं। भविष्य में किये जाने वाले आवन्तनों में इस शर्त का भी समावेश किया जायेगा।</p> <p>उप-समिति की बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 1989 को 5-00 बजे नियत की गई है जिसमें अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।</p>
02. तमनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 अक्तूबर एवं 27 अक्तूबर, 1988 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आब्या।	नोट किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
03. बीस सूत्रीय कार्यक्रम से सम्बन्धित आब्या।	अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त किया कि गत वर्षों में आवन्तित किये गये और कब्जा दिये गये भवनों की विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे कि कब्जे की स्थिति असन्तोषजनक प्रतीत होती है। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रकार के भवनों के आवन्तन, कब्जे और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत विवरण प्रत्येक बैठक के सजेन्डे के साथ प्रस्तुत किया जाता रहे।	निर्देशानुसार विवरण तालिका प्रस्तुत की जा रही है।
04. अभियन्त्रण कार्यों की प्रगति आब्या	अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिया गया कि तालिका में सभी प्रकार के भवनों के आवन्तन एवं कब्जे की स्थिति योजनावार दर्शाई जाया करे।	निर्देशानुसार विवरण तालिका प्रस्तुत की जा रही है।

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
<p>05. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्जन अधिनियम की धारा-4 एवं धारा-6 के सम्बन्ध में दिनांक 11-1-89 को कश्मीरासिंह के वाद में दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार।</p>	<p>धारा-17 § 4 § में पूर्वगामी प्रभाव से संशोधन हेतु शासन से पुनः अनुरोध कर दिया जाये। सम्बन्धित तीस मामलों में प्रति शपथ-पत्र § काउन्टर एफ़िडेविट § दाखिल कराया जाये। बोर्ड के निर्णयानुसार सहकारी समितियों को यथा-सम्भव भूमि के आवन्टन की कार्यवाही की जाये। शेष समायोजन के मामलों के सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की गई।</p>	<p>अर्जन अधिनियम की धारा-17 § 4 § में संशोधन हेतु पूर्व सन्दर्भ का हवाला देते हुए पुनः अनुरोध कर दिया गया है।</p> <p>लम्बित तीस § 30 § मामलों में से बाइस § 22 § मामलों में प्रति-शपथपत्र दाखिल हो चुके हैं। शेष में अधिवक्ता से मिलकर प्रति-शपथपत्र तैयार कराये जा रहे हैं।</p> <p>वाद-कारी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को बुलाकर बैठकें की जा रही हैं और विचार विमर्श करके आवन्टन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।</p> <p>शेष समायोजन के मामलों में उपसमिति कह बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 1989 को सायं 4.00 बजे नियत की गई है।</p>

विषय

निर्णय

अनुपालन कार्यवाही

06

नवल किशोर रोड स्थित जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रस्तुत भवन चित्र पर कुछ शर्तें प्रतिबन्धित करते हुए स्वीकृत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राधिकरण के निर्णय से अवगत कराया गया जिसके क्रम में उन्होंने संशोधित मानचित्र दाखिल किये जिसमें डबल बेसमेन्ट देकर अतिरिक्त पार्किंग का प्राविधान किया गया है। परन्तु बिल्डिंग की ऊंचाई प्राधिकरण द्वारा निर्णीत 80 फिट के बजाय 82 फिट है। चूँकि प्राधिकरण के निर्णयानुसार डबल बेसमेन्ट और अधिकतम पार्किंग सुजित हुई है। अतः बिल्डिंग की ऊंचाई 80 फिट के बजाय 82 फिट स्वीकृत किये जाने का अनुरोध है।

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय की शर्त संख्या:3 के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा पार्किंग रखीया प्राधिकरण को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इसपर जीवन बीमा निगम का कहना है कि दिनांक 26-4-88 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि पब्लिक पार्किंग स्थल की देख-रेख की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम की ही होगी। अतः इसी के अनुरूप अनुबन्ध में शर्त डाली जाय।

प्राधिकरण कृपया निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित करने हेतु विचार करने का कष्ट करें। निर्णयानुसार अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
08. हडको से ऋण प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा हडको द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।
09. गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड-1 में हडको के वित्तीय सहयोग से 100 भवनों का निर्माण कार्य।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि चूकि शासन की गारन्टी प्राप्त हो गई है अतएव बैंक गारन्टी की आवश्यकता नहीं है।	हडको द्वारा ऋण स्वीकृत हो गया है।
10. कानपुर रोड योजना के तृतीय चरण में अन्सल हाउसिंग रेण्ड फ्रान्चिज एवें लीज़िंग कं0ल0 को आवान्टित भूमि के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि मूल अनुबन्ध के अनुसार ही कार्यवाही की जाये। बुक रेडजस्टमेन्ट की स्वीकृति न दी जाये, अन्य सामान्य ठेकेदारों के लिये प्रचलित सामान्य शर्तों के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।	निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
11. गोमती नगर योजना में मे0 इन्डियन होटल इंताज ग्रुप को होटल के निर्माण हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	होटल के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत 25 एकड़ भूमि को वे मनोरंजन के अभिप्राय से पार्क के रूप में विकसित करेंगे। मनोरंजन पार्क आम जनता के लिये खुला रहेगा, इसके प्रवेश एवं निकास द्वारा होटल के प्रवेश एवं निकास द्वार से अलग बनाये जायेंगे। वे उक्त मनोरंजन स्थल को होटल ओपेन होने से पूर्व तक ही विकसित कर देंगे। इस भू-भाग की लेण्ड स्कीपिंग सम्पूर्ण 300 एकड़ की समस्मता में की जायेगी। उक्त स्थल पर प्रवेश हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारित की जायेगी।	निर्णय से पक्ष को अवगत कराते हुए अनुबन्ध करने हेतु लिख दिया गया है।

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
12- रायबरेली रोड योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को आवंटित भूमि की दर के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है।
13- पुलिस विभाग को गोमती नगर योजना में आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि के टोकेन तीज़रेन्ट के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
14- सीतापुर रोड योजना में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान को आवंटित भूमि के टोकेन तीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
15- राज्य सम्पत्ति विभाग को आवंटित भूमि/भवन के सम्बन्ध में टोकेन तीज़रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।	प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जायेगा।
16- महापालिका में कार्यरत सफ़ई कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों को आसान किरातों में भावन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि प्रशासक, नगर महापालिका से पूछ लिया जाये कि वे प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कालोनी में क्या आवन्टन हेतु प्राथमिकता देंगे।	निर्णयानुसार प्रशासक, नगर महापालिका को पत्र लिख दिया गया है।
17- ₹ 5.00 करोड़ का आपरेशनल लोन लिये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन।	विचारोपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	इडको से 5.00 करोड़ का आपरेशनल लोन स्वीकृत हो गया है। प्रथम किस्त ₹ 2.00 करोड़, 31 मार्च, 1989 को प्राप्त हो गई है।

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
18. भूखण्ड संख्या: 424. न्युटी0जी0 सिविल लाइन के सम्बन्ध में उप-समिति की रिपोर्ट।	ट्रस्ट भूखण्डों पर बिल्डिंग वार्ड-लाइन तथा मास्टर प्लान के प्राविधानों को दृष्टगत रखते हुए ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति प्रदान की जाये परन्तु शर्त यह होगी कि ट्रस्ट भूमि पट्टा धारक को बहु-आवासीय इकाइयों की अनुमति सौचित नया पट्टा लेना होगा जिसके लिये प्रीमियम और लीज़रेंट सम्बन्धी वही नियम लागू होंगे जो नये नजूल पट्टों के लिये लागू होते हैं।	निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है।
19. वर्ष 1985 में आई भीषण बाढ़ से गोमती नगर योजना में भवनों के फर्श क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।	निर्देशित किया गया कि विषय आगामी बैठक में ऐसे सभी मामलों के पूर्ण विवरण के साथ रखा जाये। साथ में समिति की रिपोर्ट भी रखी जाये।	ऐसे अन्य सभी मामलों का विवरण आगामी बैठक में रखा जायेगा।
20. अर्जन विभाग में नायब तहसीलदार के एक पद के सृजन के सम्बन्ध में।	इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि उक्त पद हेतु शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान वही रहेंगे जो राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के लिये निर्धारित हैं और उसके अनुसार ही पुनरीक्षित होंगे।	पद सृजन की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
21. श्रीमती उषा प्रदीप, 22/4 गोखले मार्ग, हज़रतगंज लखनऊ पर आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम बनाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की प्रस्तावित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।	निर्णयानुसार पक्ष को अवगत करा दिया गया है। भानुचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।
22. अमीनाबाद, लखनऊ स्थित हनुमान मन्दिर {महावीर जी मन्दिर} के भानुचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया।	निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

विषय	निर्णय	अनुपालन कार्यवाही
------	--------	-------------------

23- महानगर योजना स्थिति भूखण्डों के लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में केवल ट्रान्सफर चार्ज लिये जायें। लेवी के प्रयोजन के लिये अर्थात् विक्रय ₹ रिसेल ₹ की तिथि से मानी जायेगी।

निर्णय नोट किया गया। अब तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

विशेष प्रस्ताव

1.

भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा-4 एवं 6 की अधिसूचनाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श के दौरान यह अनुभाव किया गया कि एतद् विषयक लम्बित रिट-याचिकाओं की पेरवी आवश्यकताओं एवं सहायक समितियों को आवन्तन तथा भूमि समायोजन के मामले के निपटारे हेतु डा0 ज्ञानेन्द्र वर्मा की सेवायें प्राथिकरण के लिये उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेंगीं। यह निर्णय लिया गया कि डा0 वर्मा का कार्यकाल पूर्व स्वीकृत अवधि के उपरान्त छः माह के लिये पूर्व शर्तों पर बढ़ा दिया जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

2.

यह भी निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के वैभव खण्ड में प्रस्तावित बहुबण्डीय भवन एवं ग्रुप-हाउसिंग का क्षेत्र "नेहरू इन्क्लेव" के नाम से जाना जायेगा।

निर्णयानुसार प्रस्तावित ग्रुप-हाउसिंग का नाम "नेहरू इन्क्लेव" रख दिया गया है।

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 15

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक  
1989-90

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक, 1989-90  
अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

**विषय:** ला-प्लास स्थित 144 भवनों का निर्माण

**संक्षिप्त विवरण:**

शाह नजफ़ रोड पर स्पीड मोटर्स कम्पनी के पीछे विकास प्राधिकरण की ला-प्लास योजना स्थित है। विस्तृत निरीक्षण के पश्चात् विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि इस बहुमूल्य क्षेत्र को विकसित करके इसका उपयोग बहुसंख्यकीय भवन के निर्माण के लिये किया जाय। तथा इस हेतु बहुसंख्यकीय भवनों के लिये वास्तुविदों का पैनल चुना गया। तथा पैनल के एक प्रमुख वास्तुविद सर्वश्री छावड़ा ब्रदर्स रेण्ड रेसोसियेट्स, नई दिल्ली को उक्त क्षेत्र के विकास एवं भवनों के निर्माण सम्बन्धी मानचित्र व व्ययानुमान आदि तैयार करने हेतु दिनांक 23-2-83 को अनुबन्धित किया गया।

वास्तुविद ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानदण्डों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर भवनों के मानचित्र प्रस्तुत किये जिसके अनुसार दो बारह मंजिले भवन जिसमें प्रत्येक तल पर 6 फ्लैट्स थे इस प्रकार कुल 144 फ्लैट्स प्रस्तावित किये।

बहुसंख्यकीय भवनों के लिये उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग द्वारा कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है। वर्तमान में केवल दो प्रतिष्ठान ही ऐसे हैं जो बहुसंख्यकीय भवनों के लिये स्पेसिफिकेशन तथा शिड्युल आफ़ रेट उपलब्ध कराते हैं।

- 1- केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
- 2- राष्ट्रीय भवन संगठन नई दिल्ली।

उपरोक्त में भी केवल सी0पी0डब्लू0डी0 के पास ही शिड्युल आफ़ रेट उपलब्ध है।

अतः यथानुसार 144 भवनों के निर्माण हेतु अनुबन्धित वास्तुविद श्री छावड़ा द्वारा सिविल कार्यो हेतु दिल्ली शिड्युल आफ़ रेट 81 § डी0एस0आर081 § पर रू0 2,03,85,573-00 का व्ययानुमान प्रस्तुत किया। इसी के आधार पर प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर निविदा सूचना प्रकाशित की गयी। प्रथम प्रकाशन में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा आमन्त्रण में जो कि दिनांक 5-4-83 को खोली गई दो निविदाये प्राप्त हुई। प्राप्त निविदाओं की स्थिति निम्न थी:-

- 1- मेसर्स विग रेण्ड सन्स 117 प्रतिशत उच्च § डी0एस0आर0 81 पर §
- 2- मेसर्स सेठी विल्डर्स 118 प्रतिशत उच्च § डी0एस0आर0 81 पर §

वास्तुविद द्वारा जो व्ययानुमान प्रस्तुत किया गया था वह दो भागों में थे:

- 1: प्रथम भाग नीव के कार्यो से सम्बन्धित था तथा इसके लिये आइटम रेट पर दरें आमन्त्रित की गयी थीं।
- 2: द्वितीय भाग सुपर स्ट्रक्चर से सम्बन्धित था तथा इसके लिये दरें डी0एस0-आर0-81 पर उच्च अथवा निम्न माँगी गई थीं। दोनों भागों में जोवर आल मेसर्स विग रेण्ड सन्स की निविदा सर्व निम्न थी। जो रू0 2,21,04,007-00 की थी। सर्व निम्न निविदा प्राधिकरण के तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा जाँची गई व निविदा समिति की अनुमति व प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मिल जाने की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 4-3-83 को स्वीकृत की गई व दिनांक 16-5-83 को ठेकेदार मेसर्स विग रेण्ड सन्स के साथ कार्य हेतु अनुबन्धित किया गया। प्रारम्भिक आपत्तियों के उपरान्त प्राधिकरण ने प्रस्ताव संख्या:13§5§ दिनांक 23/28-6-83 के द्वारा परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी। वास्तुविद द्वारा निविदा के समय जो निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराये गये थे उसमें नीव हेतु डीवेन पाइल का प्राविधान था उसी आधार पर निविदाये माँगी गई थीं।

परन्तु स्थल के मृदा परीक्षण जो कि आई०आई०टी० कानपुर से कराया गया था उनके द्वारा भूमि की भार वहन क्षमता 15 टन प्रति मी० स्क्वायर निकाली गई तथा उनके द्वारा राफ्ट फउन्डेशन की अनुशंसा की गई थी। इस मृदा परीक्षण के आधार पर वास्तुविद ने पुनः फउन्डेशन हेतु राफ्ट फउन्डेशन की डिज़ाइन विभाग को उपलब्ध करायी। विभाग ने दिनांक 1-7-83 को ठेकेदार को इस सम्बन्ध में सूचित किया। विभाग ने राफ्ट फउन्डेशन की ड्राइंग दिनांक 10-8-83 को ठेकेदार को उपलब्ध करा दी तथा इसी के अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ। सुदाई का कार्य 1-7-83 से ही प्रारम्भ हो गया था। इसके साथ ही विभाग द्वारा इस विषय की छान-बीन करने के लिये तकनीकी समिति का गठन किया गया। समिति के निम्न सदस्य थे:-

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1- | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण                               | अध्यक्ष |
| 2- | श्री जे०पी०दुवे<br>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,                | सदस्य   |
| 3- | श्री डी०पी०सिंघल,<br>अपर मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम, | सदस्य   |

उक्त समिति की बैठक दिनांक 15-7-83 को हुई तथा बैठक में ला-प्लास में बनने वाले बहुखण्डीय भवनों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। अन्त में समिति ने मेसर्स विग रेण्ड सन्स की स्वीकृत निविदा का अनुमोदन किया तथा अनुशंसा की कि कार्य स्थल की वियरिंग कैपेसिटी अधिक प्रतीत होती है। उचित होगा कि इसका भू परीक्षण पुनः कराया जाय व समस्त स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की जाँच आई०आई०टी० कानपुर के डा० दया रत्नम से कराई जाय। उपरोक्त अनुशंसा के क्रम में मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 11-8-83 को पत्र द्वारा समस्त कार्य बन्द करने का आदेश दिया तथा पुनः मृदा परीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। पुनः मृदा परीक्षण का कार्य भी महावीर प्रसाद पूर्व मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश सा०नि०वि० द्वारा कराया गया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार भूमि की भार वहन क्षमता पूर्व में आई०आई०टी० द्वारा निकाली गई, भार वहन क्षमता की आधी थी 6-7 टन प्रति मी०स्क्वायर १ इस भार वहन क्षमता के लिये वास्तुविद द्वारा पुनः नीव में परिवर्तन किया गया। इस बार अण्डर रिम पाइल विधि कान्टीनिवस पाइल कैप प्रकार की नीव डिज़ाइन की गई। इस डिज़ाइन की जाँच आई०आई०टी०कानपुर से करवाने के उपरान्त कार्य दिनांक 1-12-83 को प्रारम्भ करवाया जा सका। कानपुर के द्वारा सम्पूर्ण डिज़ाइन की जाँच की गई तथा संशोधित डिज़ाइन विभाग को उपलब्ध करायी। डा० दया रत्नम द्वारा उपलब्ध कराई गई डिज़ाइन के आधार पर बनाई गई बिल आफ़ क्वान्टिटीज़ व पूर्व में आमन्त्रित निविदा की बिल आफ़ क्वान्टिटीज़ में काफ़ी अन्तर था। विशेषकर सीमेन्ट, कंक्रीट और स्टील रिइन्फोर्समेन्ट की मद में पूर्व निविदा में यह मात्राएँ क्रमशः लगभग 6,000 क्यु०मी० व 350 क्यु०मी० टन ली गई थी परन्तु नई गणना के अनुमान के आधार पर यह मात्राएँ लगभग 9,100 क्यु०मी० व 1350 क्यु०मी० टन आ रही थी। दोनों मदों में यह वृद्धि अप्रत्याशित थी। सामान्य परिस्थितियों में विचलन 10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। कार्य हेतु निविदा चूँकि ओवर-जाल परसेन्ट बेसिस पर माँगी गई थी। अतः इस वृद्धि से निविदा अनबैलेन्स हो जाती है अर्थात् यदि विभाग स्टील की बढ़ी मात्रा पर भी ठेकेदार को निविदा दर से उस दशा में प्राधिकरण पर अनावश्यक रूप से लगभग 45-00 लाख का व्ययभार पड़ता था। इसलिये विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्टील की जितनी मात्रा निविदा में ली गई है उसका भुगतान निविदा के प्रतिशत उच्च आधार पर किया जाय और 10 प्रतिशत तक विचलन स्वीकार किया जाय और शेष बढ़ी मात्रा पर पूरी दर पर निविदा का प्रतिशत उच्च न देकर केवल लेबर भाग पर निविदा का प्रतिशत उच्च दिया जाये पर ठेकेदार को विभाग की यह कार्यवाही मान्य नहीं थी। उसने इस प्रक्रिया के अधीन किये गये सभी भुगतान अण्डर प्रोटेस्ट स्वीकार करना शुरू कर दिये। विभाग पर अतिरिक्त व्ययभार न पड़े, निविदा अनबैलेन्स न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा अनेकों प्रयास किये गये कि ठेकेदार स्टील की बढ़ी मात्रा के भुगतान में विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को मान लें,

परन्तु ठेकेदार तैयार नहीं हुआ।

इस क्रम में दिनांक 6-7-85 को मुख्य अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को स्टील रिइन्फोर्समेंट के कार्य को बन्द कर देने सम्बन्धी दिये गये निर्देशानुसार ठेकेदार ने कार्य बन्द कर दिये पर पुनः उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 19-10-85 को ठेकेदार को निर्देश दिये कि वह पुनः कार्य शुरू कर दें होंलाकि ठेकेदार व विभाग के मध्य स्टील की बढ़ी मात्रा की दर सम्बन्धी कोई समझौता नहीं हो सका था। इसी बीच शासन के आदेश संख्या: 207/11-5-84, दिनांक 29 सितम्बर, 1984 द्वारा ला-प्लास प्रकरण की जाँच हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति में निम्न सदस्य थे:-

1-	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2-	श्री नरेन्द्र स्वल्प जौहरी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3-	श्री जी०सी०गुप्ता, पु० निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	सदस्य
4-	श्री एस०एम०बुखारी, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास विकास परिषद	सदस्य

समिति को ला-प्लास सम्बन्धी निम्न विषयों की जाँच करनी थी:-

- 1- अनुबन्धित दरों का सी०पी०डब्लू०डी० की दरों से अधिक होना।
- 2- स्वीकृत आगणन में प्रत्येक आइटम की मात्रा व लागत का विस्तृत मूल्यांकन।
- 3- निविदा आमन्त्रण की प्रक्रिया
- 4- ठेकेदारों द्वारा दी गई दरों का सी०पी०डब्लू०डी० की प्रचलित दरों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करके देखना कि यह दरें उचित हैं या अधिक, यदि दरें अधिक हों तो ठेकेदार से दरें कम कराई जायें।

समिति की प्रथम बैठक दिनांक 3-9-85 को हुई। समिति ने उपरोक्त बिन्दुओं बिन्दुओं पर जाँच की तथा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी:-

- §अ§ समिति के रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार की जो निविदा स्वीकृत की गई थी वह लगभग 9 प्रतिशत उच्च स्वीकृत की गई थी।
- §ब§ निविदा स्वीकृत के समय जस्टीफिकेशन में जो दरें विभाग द्वारा ली गई थीं वे उस समय के बाज़ार दर से 6 से 13 प्रतिशत उच्च थीं।
- §स§ निविदा आमन्त्रण की प्रक्रिया उचित थी।
- §द§ समिति की राय में चूँकि मूल निविदा में ली विभिन्न मदों की मात्राओं में काफी विचलन हुआ है विशेषकर स्टील व कंक्रीट के मद में अतः निविदा के जस्टीफिकेशन के लिये उचित होगा कि मूल निविदा में ली गई स्टील की मात्रा §350 टन§ तथा इस पर 10 प्रतिशत विचलन स्वीकार करके इस मात्रा पर ही निविदा का प्रतिशत स्टील आइटम के ओवर आल रेट पर दिया जाय। शेष बढ़ी मात्रा के लेबर भाग पर ही निविदा प्रतिशत उच्च दिया जाय जैसा कि विभाग द्वारा किया जा रहा था। जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया जा चुका है कि ठेकेदार को स्टील मद में ही विभाग द्वारा अपनायी गई यह प्रक्रिया मंजूर नहीं थी।

दिनांक 19-10-85 के बाद ठेकेदार द्वारा समय-समय पर विभाग को पत्र लिखकर स्टील मद में पूरे भुगतान की माँग की जाती रही थी परन्तु विभाग द्वारा ठेकेदार को बढ़ी मात्रा पर निविदा का प्रतिशत नहीं दिया गया। अन्त में दिनांक 17-6-87 को ठेकेदार द्वारा स्टील के मुद्दे व अन्य मुद्दों को जैसे कि स्टील, सीमेंट की समय में आपूर्ति न हो पाना, ड्राईंग आदि में विलम्ब को भी मद बनाकर एक वाद मध्यस्थ §आरबीट्रेशन§ आयुक्त लखनऊ मण्डल के समक्ष ले जाया गया जो कि आयुक्त महोदय के यहाँ विचाराधीन है। ठेकेदार द्वारा 1987 से

कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा था तथा जनवरी, 88 से कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है। कथित सभी भवन आवंटित हैं। ठेकेदार द्वारा कार्य न करने से आवंटियों को भवन उपलब्ध नहीं कराये जा पा रहे हैं इससे विभाग को आर्थिक हानि होने के साथ-साथ छवि भी धूमिल हो रही है। अब ठेकेदार से 2.25 करोड़ से अधिक का कार्य कराया जा चुका है जो कि निविदा धनराशि से अधिक है। स्थिति को देखते हुए भवन हर हालत में पूर्ण कराकर आवंटियों को देने हैं। इस विषय पर प्राधिकरण के मुख्य विधि परामर्शी से भी राय ली गई जो निम्नवत् है:-

"" मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता-8 तथा सहायक अभियन्ता ला-प्लास की सहायता से मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार मेसर्स विग रेण्ड सन्स से ला-प्लास स्थित बहुखण्डीय भवन अर्थात् 144 भवन लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण करने का अनुबन्ध दिनांक 16-5-83 को किया गया था। यह कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दिनांक 31-12-84 तक समाप्त होना था।

ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा विभाग द्वारा स्टील आदि जो मैटीरियल सप्लाई करना था वह सप्लाई किया गया और निर्माण कार्य को सुविधानुसार पूरा करने के लिये ठेकेदार की प्रार्थना पर अनुबन्ध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए समय वृद्धि प्रदान की गई और इस प्रकार से यह समस्त निर्माण कार्य अनुबन्ध में दी गई शर्तों के अनुसार जून-1988 तक पूर्ण हो जाना चाहिये था। परन्तु अभी तक यह कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

ठेकेदार ने प्राधिकरण से अंकन क्लेम रु० 2,06,62,101-60 पैसे की माँग इस शर्त के साथ की है कि पहले यह भुगतान कर दिया जाये, तब उसके पश्चात् ही शेष कार्य पूर्ण किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा माँगी गई धनराशि अत्यधिक तथा अनुबन्ध की शर्तों के विरुद्ध होने के कारण प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार से जब यह अपेक्षा की गई कि वह वास्तविक देय धनराशि का भुगतान ले ले और शेष कार्य को अविलम्ब पूर्ण कर दें, तो ठेकेदार की ओर से यह प्रकरण मध्यस्थ आरबीट्रेटर के समक्ष सितम्बर, 86 में ले जाया गया। जहाँ अभी तक यह प्रकरण लम्बित है और इस प्रकार से ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य, बढ़ाई गई अवधि जून, 88 में भी पूरा नहीं किया गया।

प्राधिकरण की ओर से ठेकेदार को जब पत्र संख्या: 207/ए०ए०-8/88 दिनांक 10-6-88 पताका "ए" द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिये कहा गया, तो ठेकेदार मेसर्स विग रेण्ड सन्स ने अपने पत्र संख्या: डब्लू०एस०/एल०डी०ए० 472/117, दिनांक 24-6-88 पताका "बी" द्वारा इस घमकी के साथ कि उसको अनुबन्ध समाप्त करने तथा हर्जा वसूल करने का अधिकार है तथा ये भी अधिकार है कि शेष कार्य को पूरा करें और हर्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण से वसूल करें, स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी कि वह उसके द्वारा माँगी गई कथित अनुबन्धित बकाया राशि की अदायगी होने के 6 माह के अन्दर वह कार्य पूरा कर देगा।

प्राधिकरण तथा ठेकेदार के मध्य विवाद अनुबन्ध की शर्त के अनुसार आरबीट्रेटर के समक्ष लम्बित होने के कारण प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार की ओर से माँगी गई कोई भी धनराशि बिना आरबीट्रेशन रवार्ड के देना असम्भव है तथा ना ही विधिक दृष्टि से उचित है। फलस्वरूप ठेकेदार द्वारा अपने उक्त पत्र में लगाई गई शर्त कि वह प्राधिकरण स्तर से उसके द्वारा माँगी गई धनराशि का भुगतान होने के 6 माह के अन्दर पूरा करेगा, वर्तमान स्थिति में पूर्ण होती सम्भव प्रतीत नहीं होती।

मध्यस्थ महोदय के समक्ष अभी तक पक्षों की ओर से बहस हो रही है। सुनवाई समाप्त होने तथा मध्यस्थ महोदय द्वारा रवार्ड देने में समय लग सकता है। स्थल पर लगभग 100 फ्लैट्स का निर्माण कार्य अधिकतर पूर्ण हो चुका है उनमें विभिन्न प्रकार की सुविधाओं तथा फिनिशिंग का कार्य शेष है, जो प्राधिकरण स्तर से अधिक से अधिक 6 माह के अन्दर पूरा किया जा सकेगा जैसा मुझे श्री पी०सी०मेहरोत्रा, अधिशासी अभियन्ता-8 ने अवगत कराया।

पूरा भवन स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत आवंटित किये जा चुके हैं और इनमें से कुछ भवन रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, नाबार्ड को भी आवंटित किये जा चुके हैं। यदि इन भवनों का निर्माण पूरा करके आवंटियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उस दशा में भवनों के अभाव में आवंटियों को अत्यधिक परेशानी होगी और प्राधिकरण को भी शेष धनराशि न मिलने के कारण अत्यधिक हानि हो रही है। प्राधिकरण की ओर से इन भवनों के निर्माण में लगभग 4 करोड़ का इनवेस्टमेंट हो चुका है।

अतः जनहित में यह अति आवश्यक होता है कि प्राधिकरण स्तर से शेष कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करा लिया जाय और इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई संस्तुति उचित प्रतीत होती है।

प्रथम दृष्टतया प्राधिकरण स्तर से शेष कार्य पूर्ण करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि जब तक मध्यस्थ महोदय द्वारा रवाई घोषित नहीं किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य रूप से यह प्राधिकरण का ही दायित्व है कि वह अपने आवंटियों को भवनों का निर्माण करके उन्हें उनको आवंटित भवन समय से उपलब्ध कराये। ठेकेदार से केवल इन भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया है। अतः प्राधिकरण स्तर से शेष कार्य पूर्ण कराने की दशा में यदि ठेकेदार न्यायालय में दावा दायर करके कोई स्थगन आदेश प्राप्त करता है, तो उसे प्राधिकरण स्तर से भली प्रकार कन्टेस्ट किया जा सकेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में ठेकेदार अधिक से अधिक उसके द्वारा शेष कार्य पूर्ण न कराने के लिये डेमेजेज़ क्लेम करने के लिये कह सकता है, परन्तु प्राधिकरण को जो कि प्रिन्सिपल है उसको अपना कार्य स्वयं करने से नहीं रोक सकता है।

वर्तमान अनुबन्ध की धनराशि दो करोड़ से अधिक की है। अतः प्राधिकरण के नियमानुसार शेष कार्यो को प्राधिकरण स्तर से पूर्ण करने तथा तदनुसार ठेकेदार को सूचित करने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना उचित होगा। ""

अतः जनहित में निम्न कार्यवाही करने का प्रस्ताव है:-

- 1- ठेकेदार की निविदा इसी स्टेज पर समाप्त कर दी जाय।
- 2- शेष कार्य विभागीय पद्धति/ किसी अन्य स्पेन्सी से करा लिया जाये।

विषय संख्या: 5

पृष्ठ संख्या: 21

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत  
एवं अन्य भवन भूखण्डों के सम्बन्ध में विवरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत  
निर्मित एवं अन्य भवन/भूखण्डों से सम्बन्धित विवरण साथ में संलग्न हैं।

शेजना का नाम:- अलीगंज 120 सड़क कार्यक्रम

समाप्ति विभाग से सम्बन्धित सूचना

क्रम सं.	भवनों/भूखण्डों का प्रकार	कुल पंजी की सं०	भू वि. के अनु. संख्या	स्थल के अनुसार संख्या	आवंटित भवनों / भू की संख्या	निबन्धन/ अनुबंध की सं०	कब्जा दिये गये भवनों / भू की संख्या	अनुबंध/निबंधन न होने का	विकास कार्य पूर्ण/अपूर्ण				
									सड़क/पानी	विजली/सीवर	विवरण		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11° सड़क	12° पानी	13° विजली	14° सीवर
1.	सेक्टर "ए" ई. डी. बी	16	16	16	16	16	16	16	16	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
2.	सेक्टर "बी" ई. डी. बी ई-1	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	"	"	"	"
3.	सेक्टर "सी" ई -2	233	233	233	233	233	233	233	2	233	"	"	"
4.	सेक्टर "जी" ई-4	168	168	168	168	168	168	168		168	"	"	"
5.	सेक्टर "एच. आई. जे." ई-3 टाइप	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	"	"	"
6.	सेक्टर "एल" ई. डी. एल. ई-4	60 46	60 46	60 46	60 46	35 46	35 46	35 46	अनाधिकृत कब्जा होने के	46	"	"	"
7.	सेक्टर "एम" ई-4 टाइप	326	326	326	326	326	326	326		326	"	"	"
8.	सेक्टर "एन" ई-6 टाइप साइट एंड क्विसेज	245 804	245 804	245 804	245 804	245 769	245 769	245 769	245 सोसाइटी का विवाद	245	"	"	"
9.	सेक्टर "व्यू" ई. डी. व्यू	948	948	948	948	948	918	918	आवंटी का न आना	"	"	"	"
10.	सेक्टर "डी/एल" ब-7	144	144	144	144	117	117	117	आवंटी का न आना	"	"	"	"

B  
शेजना सहायक


अनुभाग अधिकारी

सहायक समाप्ति अधिकारी


संयुक्त सचिव-एम


क्रम सं०	भवनों/खण्डों का प्रकार	कुल पंजी० की संख्या	म. विन्यास के अनुसार संख्या	स्थल के अनुसार संख्या	आवंटित भवनों/खण्डों की सं०	निबंधन/अनुबंध की सं०	कब्जा दिये गये भवनों/खण्डों की संख्या	अनुबंध/निबंधन न होने का कारण	बजली	पानी	तीवर	सड़क	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	<b>सेक्टर-ए</b> ए. प्रकार भूखण्ड ए-1 प्रकार भूखण्ड बी. प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड	8 6 41 51	8 6 41 51	8 6 41 51	8 6 41 51	4 6 40 40	4 6 40 40	अतिक्रमण स्थगनादेश स्थगनादेश	पूर्व	पूर्व	पूर्व	पूर्व	
2.	<b>सेक्टर-बी</b> ए. प्रकार भूखण्ड ए-1 प्रकार भूखण्ड बी. प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड एम-1 प्रकार भवन एल-1 प्रकार भवन एम. जी. एत. भवन	8 24 63 88 196 88 109 24	8 24 63 88 196 88 109 24	8 24 63 88 196 88 109 24	8 24 63 88 196 88 109 24	8 24 63 88 196 88 109 24	8 24 63 88 196 88 109 24	- - - - - 15 भवन कि. क्र 41 भवन कि. क्र	- - - - - - - -	"	"	"	"
3.	<b>सेक्टर-सी</b> ए. प्रकार भूखण्ड ए-1 प्रकार भूखण्ड बी. प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड पत्रकार अलकापुरी	10 9 49 42 50 57	10 9 49 42 50 57	10 9 49 42 50 57	10 9 49 42 50 57	10 9 49 42 50 57	10 9 49 42 50 57	- - - - - -	"	"	"	"	
4.	<b>सेक्टर-टी-ए</b> ए. प्रकार भूखण्ड बी. प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड	9 12 55	9 12 55	9 12 55	9 12 55	9 12 55	9 12 55	- - -	"	"	"	"	
5.	<b>सेक्टर-डी</b> एम. एम. भवन एम. एत. भवन एल-3 भवन	170 151 117	170 151 117	170 151 117	170 151 117	170 151 117	170 151 117	- 91 भवन कि. क्र 42 भवन कि. क्र	"	"	"	"	
6.	<b>सेक्टर-डी-ए</b> एम. आई. जी.	18	18	18	18	18	18	-	"	"	"	"	
7.	<b>सेक्टर-ई</b> एम. आई. जी. भूखण्ड बी. प्रकार भूखण्ड सी. प्रकार भूखण्ड	138 63 167	138 63 167	138 63 167	138 63 167	138 63 167	138 63 167	- - -	अपूर्व	अपूर्व	अपूर्व	अपूर्व	
8.	<b>सेक्टर-एफ</b> बी. प्रकार भूखण्ड सी. प्रकार भूखण्ड	15 44	15 44	15 44	15 44	15 44	15 44	- -	पूर्व	पूर्व	पूर्व	पूर्व	
9.	<b>सेक्टर-जी</b> बी. प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी. प्रकार भूखण्ड डी. प्रकार भूखण्ड	21 185 53 63	21 185 53 63	21 185 53 63	21 185 53 63	21 185 53 63	21 185 53 63	- - - -	"	"	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	सेक्टर "एच"==== ए प्रकार भूखण्ड बी प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड डी प्रकार भूखण्ड	19 71 66 138 37	19 71 66 138 37	19 71 66 138 37	19 71 66 138 37	19 69 66 138 35	19 69 66 138 35	19 69 66 138 35	-	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
11.	सेक्टर "आई"==== सी प्रकार भूखण्ड डी प्रकार भूखण्ड	93 42	93 42	93 42	93 42	93 42	93 42	93 42	-	"	"	"	"
12.	सेक्टर "जे"==== ए प्रकार भूखण्ड बी प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड	30 52 92 178	30 52 92 178	30 52 92 178	30 52 92 178	30 48 92 178	30 49 92 175	30 49 92 175	-	"	"	"	"
13.	सेक्टर "के"==== बी प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड डी प्रकार भूखण्ड	45 179 144 49	45 179 144 49	45 179 144 49	45 179 144 49	45 179 144 49	45 179 144 49	45 179 144 49	-	"	"	"	"
14.	सेक्टर "एल"==== बी प्रकार भूखण्ड एच.आई.जी भवन एम.आई.जी भवन एम.डी. भवन एम.एम.आई.जी भवन एल. 4. भवन एल. 5. भवन एल. 6. भवन	20 26 28 31 29 29 255 112	20 26 28 31 29 29 255 112	20 26 28 31 29 29 255 112	20 26 28 31 29 29 255 112	16 25 23 31 29 29 255 112	16 25 23 31 29 29 255 112	16 25 23 31 29 29 255 112	-	"	"	"	"
15.	सेक्टर "एम"==== सी प्रकार भूखण्ड एल. 6 भवन	123 129	123 129	123 129	123 129	107 129	107 129	107 129	-	"	"	"	"
16.	सेक्टर "एन"==== सी. प्रकार भूखण्ड एल. 6 भवन	88 129	88 129	88 129	88 129	67 129	67 129	67 129	-	"	"	"	"
17.	सेक्टर "ओ"==== बी प्रकार भूखण्ड सी प्रकार भूखण्ड	51 33	51 33	51 33	51 33	13 6	13 6	13 6	-	"	अपूर्णा	"	"
18.	सेक्टर "पी.एंड.एच."==== बी प्रकार भूखण्ड बी-1 प्रकार भूखण्ड सी. प्रकार भूखण्ड डी. प्रकार भूखण्ड	7 62 35 118	7 62 35 118	7 62 35 118	7 62 35 118	5 56 34 97	5 56 34 97	5 56 34 97	-	"	"	"	"

  
योजना सहायक

अनुभाग अधिकारी

  
सहायक तंत्रांत अधिकारी


  
संयुक्त सचिव-एम

क्रम सं०	भवनो/भूखण्डों का प्रकार	कुल सं० संख्या	भू-विन्यास के अनुसार सं०	स्थल के अनुसार संख्या	आवंटित भवनो/भूखण्डों की संख्या	निवन्धन/ अनुबंध की सं०	कब्जा दिये गये भवनो/भू० की संख्या	अनुबंध/ निवन्धन न होने का कारण	विजली	पानी	तीवर	सड़क	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	<u>विशाल खण्ड</u>												
	खण्ड- 1	808	808	808	808	42	42	42	विकास कार्य	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
	खण्ड- 3	106	106	106	106	6	6	6	विकास कार्य	"	"	"	"
	खण्ड- 4	265	265	265	265	71	71	71		पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
2.	<u>विराम खण्ड</u>												
	खण्ड- 1	133	133	133	133	-	-	-	विकास/कार्टिंग	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
	खण्ड- 4	348	348	348	348	-	-	-	" / "	"	"	"	"
3.	<u>विवेक खण्ड</u>												
	साइट सं संविसेज	110	110	110	110	-	-	-		पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
4.	<u>विभव खण्ड</u>												
	ई-डब्ल्यू-एस	400	400	400	400	-	-	-	विकास/कार्टिंग	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
	साइट सं संविसेज	300	300	300	300	-	-	-	" / "	"	"	"	"
5.	<u>विनय खण्ड</u>												
	खण्ड- 1/2	1285	1148	1148	1148	555	555	555	आवंटी कान आना	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
	खण्ड- 3	548	548	548	548	171	171	171	" " " "	"	"	"	"
	खण्ड- 4	419	419	419	419	80	80	80	लीज प्लान में संशोधन	"	"	"	"
<u>हाता योजना</u>													
1.	हाता लक्ष्मण दास	75	75	75	75	75	75	75	-	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
2.	हाता सरजू प्रसाद	58	58	58	58	24	24	24	आवंटी न आना	"	"	"	"
3.	हाता रमूल ठाँ	24	24	24	24	-5	5	5	" " " "	"	"	"	"


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ई0डब्लू0एस0 फेज-1	790	790	790	790	665	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
साईट एवं तद्विषय भूखण्ड	1423	540	540	540	459	"	"	"	"
ई0डब्लू0एस0 फेज-2	946	946	946	946	640	पूर्ण	"	"	"
साईट एवं तद्विषय भूखण्ड-2	185	<del>185</del> 236	185	185	59	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	डलने का प्र
ई0डब्लू0एस0 सेक्टर "ती"	150	150	150	150	99	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	गा नहीं
ई0डब्लू0एस0 सेक्टर "जी"	851	501	501	501	-	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
ई0डब्लू0एस0 दो मंजिले	1575	1008	1008	945	242	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण

आजाद नगर योजना

भवन	700	120	120	120	9	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
भूखण्ड	2250	791	791	791	560	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण

  
योजना सहायक

अनुभाग अधिकारी

  
संयुक्त सचिव

क्रम सं०	भवन/ भूखण्ड	कुल पंजीकरण	विन्यास अनुसार भवन/भूखण्ड	स्थल के अनुसार भूखण्ड/ भवन	कब्जा दिये गये भवनों/ भूखण्डों की संख्या।	रजिस्ट्री अनुबन्ध की संख्या	विजली	पानी	सीवर	सड़क	अन्य विवरण
----------	-------------	-------------	---------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	-------	------	------	------	------------

अ गोमती नगर विवेक खण्ड

1 भवन

अ-टाईप	39	39	39	26	28	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	
बी-टाईप	175	175	175	124	143	"	"	"	"	
सी-टाईप	194	194	194	148	155	"	"	"	"	
डी-टाईप	366	366	366	220	286	"	"	"	"	
ई-टाईप	100	100	100	18	28	"	"	"	"	

2 भूखण्ड

ए-टाईप	24	24	24	28	24	"	"	"	"	
बी-टाईप	370	370	370	242	260	"	"	"	"	
सी-टाईप	289	289	289	213	236	"	"	"	"	
डी-टाईप	281	281	281	180	218	"	"	"	"	
ई-टाईप	15	15	15	2	6	"	"	"	"	

ब गोमती नगर विजय खण्ड

1 भवन

ए-टाईप	85	85	85	13	28	आंशिक अनुप	आंशिक अनुप	आंशिक अनुप	आंशिक अनुप	
बी-टाईप	40	40	40	6	12	"	"	"	"	
सी-टाईप	33	33	33	6	6	"	"	"	"	

2 भूखण्ड

ए-टाईप	89	89	89	14	39	"	"	"	"	
बी-टाईप	176	176	176	63	117	"	"	"	"	
डी-टाईप	49	49	49	11	19	"	"	"	"	
ई-टाईप	18	118	118	-	6	"	"	"	"	

॥ 1 ॥ भवन

ए-टाईप	156	156	156	58	58	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
बी-टाईप	335	335	335	103	103	"	"	"	"
सी-टाईप	256	256	256	124	124	"	"	"	"

॥ 2 ॥ भूखण्ड

ए-टाईप	43	43	43	35	36	"	"	"	"
बी-टाईप	131	131	131	110	110	"	"	"	"
सी-टाईप	67	67	67	63	62	"	"	"	"

॥ द ॥ गोमती नगर ॥ विजयखण्ड ॥

॥ 1 ॥ भवन

एल0आई0जी0	550	550	550	102	146	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण
एम0आई0जी0-1	210	210	210	65	88	"	"	"	"
एम0आई0जी0-2	216	216	216	65	84	"	"	"	"
ए-टाईप पत्र. पु.	84	84	84	50	63	"	"	"	"
बी-टाईप पत्र. पु.	16	16	16	10	16	"	"	"	"

॥ 2 ॥ भूखण्ड

ए-टाईप	24	24	24	18	20	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण	आंशिक अपूर्ण
बी-टाईप	362	362	362	146	145	"	"	"	"
सी-टाईप	76	76	76	54	65	"	"	"	"
डी-टाईप	4	4	4	4	4	"	"	"	"
एल0आई0जी0	70	70	66	33	40	"	"	"	"

॥ य ॥ गोमती नगर ॥ विकासखण्ड ॥

भवन

ए-टाईप	55	55	55	46	48	"	"	"	"
बी-टाईप	12	12	12	5	5	"	"	"	"
डी-टाईप	64	68	68	10	10	"	"	"	"

१२१	भूखण्ड										
	बी-टाईप	170	170	170	81	85	अपूर्ण	आंशिक	अपूर्ण	आंशिक	अपूर्ण
	सी-टाईप	434	434	434	140	152	"	"	"	"	"
	डी-टाईप	255	253	263	-	-	"	"	"	"	"
१२२	गोमती नगर विराम खण्ड										
१११	भवन										
	एम०आई०जी०	298	298	298	50	50	"	"	"	"	"
	एल०आई०जी०	37	37	37	10	10	"	"	"	"	"
	एम०आई०जी० सेल्य फा	66	66	66	-	-	"	"	"	"	"
	ई-टाईप	136	136	136	-	-	"	"	"	"	"
१२३	भूखण्ड										
	ए-टाईप	102	102	102	48	50	"	"	"	"	"
	बी-टाईप	175	175	175	50	53	"	"	"	"	"
	सी-टाईप	337	438	438	85	91	"	"	"	"	"
	डी-टाईप	179	179	179	14	18	"	"	"	"	"
१२४	विशाल खण्ड गो. न.										
११२	भवन										
	ए-टाईप	123	123	123	8	30	"	"	"	"	"
	मिनी०एम०आई०जी०	310	310	310	40	99	"	"	"	"	"
	सी-टाईप	44	44	44	1	8	"	"	"	"	"
१२५	भूखण्ड ए-टाईप	276	276	276	68	93	"	"	"	"	"
	बी-टाईप	629	629	629	77	116	"	"	"	"	"
	सी-टाईप	157	157	157	13	26	"	"	"	"	"
	डी-टाईप	167	17	17	-	-	"	"	"	"	"

अ) विद्यमान खण्ड

1) भूखण्ड

अपूर्णा अपूर्णा कर्षणा अपूर्णा

बी-टार्प	380	380	380	-	-
डी-टार्प	860	860	860	-	-

2) विक्रान्त खण्ड

भूखण्ड

बी-टार्प	5	238	235	-	-
सी-टार्प	214	214	215	-	-
डी-टार्प	26	26	26	-	-

3) विधेय खण्ड

भूखण्ड

ए-टार्प	-	10	10	-	-
बी-टार्प	-	200	200	-	-
सी-टार्प	-	543	543	-	-

4) विधेय खण्ड

भूखण्ड

बी-टार्प	-	88	88	-	-
सी-टार्प	-	60	60	-	-

5) विधेय खण्ड

भूखण्ड

ए-टार्प	-	28	28	-	6
बी-टार्प	-	140	140	-	4
सी-टार्प	-	130	130	-	25
डी-टार्प	-	470	470	-	30

6) दुकान विवेक खण्ड

	-	60	60	-	20
" विभास	-	30	30	-	8


पूर्णा पूर्णा पूर्णा पूर्णा

1.1 पैलाय पुन्य योजना कामगिरी

पुणर्ग	-	134	134	-	-	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
फिवास्क	-	145	147	6	15	"	"	"	"
कन्टर	-	70	70	-	6	"	"	"	"
2. शी. व्यवसायिक केन्द्र									
पुणर्ग	-	135	145	-	-	"	"	"	"
प्लेट फार्म	-	90	90	-	-	"	"	"	"
3. टिन्टर्त डम्प योजना									
पुणर्ग	-	89	89	21	21	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
प्लेट फार्म	-	120	120	38	50	"	"	"	"
4. व्यवसायिक भूखन्									
फिवास्क									
पुणर्ग	-	170	170	31	36	"	"	"	"
नन्दा डेट									

घाटी न तौरले के कारण पूजा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

शिव गुलाब सिंह  
अनुभाग अधिकारी जिला नगर

  
शिव गुलाब सिंह  
अतिरिक्त सचिव

कानपुर रोड योजना/रेलनगर			सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित सुचना सूचीत १ तृतीय कार्यक ५ तद्विषय						
भवन/भूखण्ड का प्रकार	कुल पंजी 0 संख्या	भूविन्यास के अनुसार संख्या	स्थल के अनुसार संख्या	निबन्धन अनुबन्ध संख्या	कब्जा दिर गए भवनो/ की संख्या	तड़क	तीवर	पानी	विद्युत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
सेक्टर "ती"									
=====									
ए-प्रकार भवन	9	9	9	8	8	पूर्ण स्थान स्थान पर	पूर्ण है,	बन्दपड़ा पूर्ण है	पूर्ण
ती प्रकार भवन	36	36	36	30	30	.	.	.	.
ए-प्रकार भूखण्ड	4	4	4	3	3	.	.	.	.
बी-प्रकार भूखण्ड	10	10	10	1	1	.	.	.	.
ती प्रकार भूखण्ड	23	23	23	17	17	.	.	.	.
डी-प्रकार भूखण्ड	3	3	3	2	2	.	.	.	.
सेक्टर "ती"-1									
=====									
ती-प्रकार भवन	13	13	13	7	7	.	-	पूर्ण	पूर्ण प्रेसर कम
ती प्रकार भूखण्ड	28	28 17	17	8	8	.	-	.	/मार्ग प्रकाश की समस्या
डी प्रकार भूखण्ड	30	12	12	9	9	.	-	.	.
ई-प्रकार भूखण्ड	54	55	55	24	24	.	-	.	.
ई-प्रकार के भवन	262	262	262	41	41	.	-	.	.
एत0एत भूखण्ड	448	448	448	435	435	.	-	.	.
सेक्टर "डी"									
=====									
एच-1 प्रकार भवन	24	24	24	24	24	पूर्ण	-	पूर्ण	पूर्ण
एच-2 " "	98	98	98	88	88	.	-	.	.
बी-1 प्रकार भवन	24	24	24	24	24	.	-	.	.
एम डी प्रकार भवन	40	40	40	33	33	.	-	.	.
ती प्रकार भवन	40	40	40	38	38	.	-	.	.
डी-1 प्रकार भवन	42	42	42	38	38	.	-	.	.
डी-2 प्रकार भवन	143	143	143	136	136	.	-	.	.
एल0आई0जी0 भवन	264	264	264	231	131	.	-	.	.
एल-2 प्रकार भवन	49	50	50	-	-	.	-	.	.
बी-प्रकार भूखण्ड	114	71 114	71	71 44	44	.	-	.	.
ती प्रकार भूखण्ड	203	167	167	107	107	.	-	.	.
डी प्रकार भूखण्ड	416	342	342	225	225	.	-	.	.
एच प्रकार भूखण्ड	18	24	24	3	3	.	-	.	.
एच-2 प्रकार भूखण्ड	2	2	2	-	-	.	-	.	.
एम-प्रकार भूखण्ड	6	6	6	3	3	.	-	.	.
ई 0इला0एत0 दी मजिले भवन	1328	1328	1328	930	930	.	-	.	.

सेक्टर "डी-1"

=====

				377		पूर्ण स्थान	स्थान पर	पूर्ण	- पूर्ण	प्रेसर कम	पूर्ण	मार्ग, प्रकाश अस्तव्यस्त है
एमआइजीओ	518	446	442	377	377	"	"	"	"	"	"	"
एमएमआइजीओ	518	591	591	500	500	"	"	"	"	"	"	"
बी-1 प्रकार भूखण्ड	69	69	69	43	43	"	"	"	"	"	"	"
सी-प्रकार भूखण्ड	50	50	50	33	33	"	"	"	"	"	"	"
ई-प्रकार भवन -1	1257	806	806	666	666	"	"	"	"	"	"	"
ईप्रकार भवन पैज-2	1443	1443	1443	662	662	"	"	"	"	"	"	"
सेक्टर "ई"						"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ भवन	209	209	209	209	209	"	"	"	"	"	"	"
डी-1 प्रकार भूखण्ड	59	59	59	38	38	"	"	"	"	"	"	"
ई-4 भवन	223	223	223	223	223	"	"	"	"	"	"	"
एमएमओ भूखण्ड	233	233	233	223	221	"	"	"	"	"	"	"
सेक्टर "एफ"						"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ भवन	84	84	84	41	41	"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ	230	244	244	88	68	"	"	"	"	"	"	"
सी-प्रकार भूखण्ड	88	88	88	52	52	"	"	"	"	"	"	"
ईडब्ल्यूएसओदोमंजिले	256	256	256	70	70	"	"	"	"	"	"	"
एमएमओ भूखण्ड	213	213	213	203	201	"	"	"	"	"	"	"
सेक्टर "जी"						"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ भवन	52	52	52	15	15	"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ भवन	140	140	140	45	45	"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ	126	126 169	126 169	-	-	"	"	"	"	"	"	"
एमआइजीओ-2	55	142	142	-	-	"	"	"	"	"	"	"
बी-प्रकार भूखण्ड	19	19	19	12	12	"	"	"	"	"	"	"
सी-प्रकार भूखण्ड	88	88	88	53	53	"	"	"	"	"	"	"
डी-1 प्रकार भूखण्ड	40	40	40	19	19	"	"	"	"	"	"	"
ईडब्ल्यूएसओदोमंजिले	1025	1025	1025	167	167	"	"	"	"	"	"	"
एमएमओ भूखण्ड	733	733	733	231	231	"	"	"	"	"	"	"

बन्द है

सेक्टर "एच"  
=====

बी-प्रकार भूखण्ड	123	80	80	14	14	अधिकतित			
सी-प्रकार भूखण्ड	128	151	151	8	8	"	अधिकतित	अधिकतित	अधिकतित
डी-प्रकार भूखण्ड	224	229	229	41	41	"	"	"	"
ई-प्रकार भूखण्ड	98	99	99	12	12	"	"	"	"
ई-प्रकार भवन	1031	1031	1030	5	5	"	"	"	"
एत0रत0भूखण्ड	1931	1931	1931	353	353	"	"	"	"

सेक्टर "एल"  
=====

एल00आइ0जी0	161	161	161	-	-	"	"	"	"
<u>रेलूनगर योजना</u>									
ए-प्रकार भवन	10	13	13	-	-	अधिकतित	अधिकतित	अधिकतित	अधिकतित
बी-प्रकार भवन	17	25	25	-	-	"	"	"	"
स.-प्रकार भवन	9	9	9	-	-	"	"	"	"
सी-प्रकार भवन	40	64	64	-	-	"	"	"	"
ए-प्रकार भूखण्ड	14	14	14	2	1	"	"	"	"
बी-प्रकार भूखण्ड	5	5	5	1	1	"	"	"	"
सी-प्रकार भूखण्ड	1	2	2	-	-	"	"	"	"

दुकान सेक्टर "डी"  
कानपुर रोड  
=====

ए-प्रकार दुकान	45	16	16	-	-	पूर्णधिकतित	पूर्णधिकतित	पूर्णधिकतित	पूर्णधिकतित
बी-प्रकार दुकान	57	58	58	-	-	"	"	"	"
सी-प्रकार दुकान	44	16	16	-	-	"	"	"	"

सेक्टर "एफ"  
=====

दुकान	40	10	10	-	-	"	"	"	"
-------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

-----

*[Signature]*  
योजना सहायक

*[Signature]*  
अनुभाग अधिकारी

*[Signature]*  
संयुक्त सचिव (तो)

10-4-89 तक

क्र. सं.	अवकाश/अवकाश	अवकाश की संख्या	अ-विचार के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश	अवकाश के अनुसार अवकाश
	सेक्टर - A सीतापुर रोड				8	9	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
1	अवकाश B टाइप	16	16	16			"	"	"	"	पूर्ण
2	H.I.G टाइप अवकाश	16	16	16	-	-	"	"	"	"	"
3	एम. आई. जी	10	10	10	7	7	"	"	"	"	पूर्ण
4	एम. आई. जी	5	5	5	3	3	"	"	"	"	"
5	एम. आई. जी	12	12	12	-	-	"	"	"	"	"
6	B टाइप अवकाश	35	35	35	3	3	"	"	"	"	अपूर्ण
7	B टाइप अवकाश	58	58	58	25	35	"	"	"	"	पूर्ण
8	C टाइप अवकाश	48	48	48	30	40	"	"	"	"	पूर्ण
	सेक्टर B सीतापुर रोड बाजना										
9	B टाइप अवकाश	20	20	20	13	13	"	"	"	"	अपूर्ण
10	C टाइप अवकाश	19	19	19	-	-	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
	सेक्टर सी सीतापुर सीतापुर रोड बाजना										
11	सी टाइप अवकाश	27	27	27	20	23	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
12	डी टाइप अवकाश	22	22	22	15	17	"	"	"	"	"
13	M.I.G टाइप I/II	89	89	89	29	45	"	"	"	"	"
14	M.I.G टाइप S/F	91	91	91	35	61	"	"	"	"	"
15	D टाइप अवकाश	83	83	83	39	61	"	"	"	"	"
16	E टाइप अवकाश	109	109	109	45	67	"	"	"	"	"

नॉन-शोथर्टा जमा हुए  
कम्प्लेंटिंग कम्प्लेंटिंग  
को भरना

संकेत F सोमपुर 215 बाजरा												
17	A टाइप प्रकाश	20	20	20	1	1	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण
18	B टाइप प्रकाश	154	154	154	10	38	"	"	"	"	"	काय प्रयोग
19	C टाइप प्रकाश	187	187	187	15	63	"	"	"	"	"	"
20	D टाइप प्रकाश	483	483	483	16	113	"	"	"	"	"	"
21	E टाइप प्रकाश	160	160	160	2	16	"	"	"	"	"	"
संकेत G सोमपुर 215 बाजरा												
22	B टाइप प्रकाश	228	228	228	4	31	"	"	"	"	"	"
23	C टाइप प्रकाश	305	305	305	8	51	"	"	"	"	"	"
24	L.V.G	221	221	221	—	—	"	"	"	"	"	काय प्रयोग नए एफ

Self  
10-4-80

विषय संख्या:- 6

पृष्ठ संख्या:-

विषय: श्री जे०पी०श्रीवास्तव, झूतपूर्व मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०  
प्रा० को आवंटित झूटाण्ड संख्या: बी-1/89, सेक्टर "जी",  
अलीगंज योजना के भावन निर्माण में लेवी शुल्क से छूट दिये  
जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या:

लखानऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् आदि अर्द्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा भावन निर्माण हेतु झूटाण्डों का आवंटन अपनी नीतियों एवं शासनादेशों के अनुपालन में किया जाता है और सम्बन्धित झू-क्रेता को झूटाण्ड तत्सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा पट्टे पर दिया जाता है । अतः झूमि के आवंटन के सम्बन्ध में पट्टे में उपलब्ध अन्य शर्तों के साथ-साथ इस शर्त का भी समावेश किया जाता है कि सम्बन्धित झू-क्रेता क्रय की गयी झूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट अवधि में कर लेगा और यह पट्टा कर्ता के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वह इन शर्तों के परिपालन में पट्टे में दी गई शर्तों का समावेश करे । इस क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं में आवासीय भावनों के निर्माण हेतु विभिन्न झू-क्रेताओं को आवंटित की जाने वाली झूमि के पट्टे में यह शर्त लगाई जाती है कि झू-क्रेता निर्धारित अवधि में सम्बन्धित झूमि के आवंटन के प्रयोजन के अनुरूप निर्माण कार्य करा लेगा । इस प्रकार की शर्त रखे जाने का एक मुख्य औचित्य यह भी होता है कि झू-क्रेता झूमि का दुरुपयोग न करे और झूमि का आवंटन जिस प्रयोजन हेतु किया गया है उसका समुचित उपयोग हो सके । आवासीय भावनों हेतु आवंटित किये गये झूटाण्डों के पट्टों में यह शर्त लगाई जाती है कि झूमि प्राप्त होने की निर्धारित अवधि में झू-क्रेता सम्बन्धित झूटाण्ड पर पट्टों की शर्तों के अनुरूप भावन निर्माण करा लेगा अन्यथा इस हेतु उसे दण्ड-स्वरूप लेवी शुल्क देय होगी । इस प्रयोजन की शर्तें विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की विभिन्न पट्टों में भिन्न-भिन्न हैं जिनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि

झूमि की शर्तें को मिलाया

वर्तमान में उ०प्र०शासन के शासनादेश दिनांक: 23-10-86 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में भूमि की रजिस्ट्री से 5 वर्ष की अवधि भावन निर्माण हेतु निर्धारित की गयी है और उसके पश्चात 5 वर्षों हेतु लेवी शुल्क 2% दो प्रतिशत की दर से लिये जाने का प्राविधान किया गया है। रजिस्ट्री के 10 वर्ष के पश्चात आवंटन निरस्त किये जाने का प्राविधान शासनादेश में किया गया है।

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के पूर्व वर्ष 1985 में उ०प्र० शासन के आवास अनुभाग द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित एक प्रकरण के सन्दर्भ में एक शासनादेश सरकारी कर्मचारियों से लेवी शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किया गया था किन्तु उक्त शासनादेश की पुष्टि प्राधिकरण की किसी बैठक में नहीं की गयी है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत यह प्राविधान रखा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो इस बात का शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि किन्हीं सरकारी एवं वित्तीय कारणों के कारण वह भावन निर्माण नहीं कर सकें हैं, उनसे लेवी शुल्क न लिया जाये। शासनादेश की प्रति संलग्न है।

ल०वि०प्रा० की अलीगंज योजना के एक आवंटी श्री जे०पी० श्रीवास्तव को एक झूठाण्ड आवंटित किया गया था जिसकी रजिस्ट्री जून, 1989 में हुई थी किन्तु पक्षा द्वारा आवंटित भूमि पर भावन निर्माण नहीं कराया जा सका। पक्षा द्वारा इस विभाग में माह दिसम्बर, 1988 में एक मानचित्र प्रेषित किया गया है जिस पर वर्तमान लेवी संबंधी शासनादेशों के क्रम में लेवी शुल्क की गणना करके रु० 18,979/- लेवी शुल्क जमा करने की सूचना पक्षा को दी गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में पक्षा ने एक प्रत्यावेदन दिया है जिसमें पक्षा ने यह सूचित किया है कि वह उ०प्र०शासन के अन्तर्गत वित्तीय सेवाओं में कार्यरत रहा है और इसी क्रम में ल०वि०प्रा० में मुख्य लेखा-अधिकारी के पद पर भी कार्यरत रहा है। पक्षा द्वारा अपने सरकारी कार्य की सेवाकाल में, सरकारी कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण भावन निर्माण न किये जाने की घोषणा की गयी है

एवं साथ ही यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी पद पर कार्य करते हुए इस संस्थान की अथक सेवा की है। अर्थात्: उनसे लेवी शुल्क न लिये जाने के प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अपने प्रत्यावेदन में पक्ष ने सरकारी कार्यकाल के अन्तर्गत आर्थिक विपदाओं का विस्तृत वर्णन अपने पत्र में किया है जो अन्ततोगत्वा वित्तीय कारणों के कारण भावन निर्माण न हो सकने का कारण रहा है।

लेवी शुल्क के सम्बन्ध में ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक: ३ फरवरी, 1988 में श्री ए के०एन०गोयल, आवंटी भूखण्ड सं०: सी-19, "एच" पार्क, महानगर का प्रकरण रखा गया था जिसमें निर्धारित अवधि में भावन निर्माण न हो सकने के कारण लेवी शुल्क के सम्बन्ध में पक्ष के प्रत्यावेदन के आधार पर प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया था कि केवल पुरानी योजनाओं के आवंटियों से लीज के 10 वर्ष पूरे होने के उपरान्त दिनांक: 31-12-88 तक एक प्रतिशत की दर से लेवी ले ली जाये। इसी प्रकार प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 3-2-88 के अन्तर्गत वर्ष 1988 हेतु लेवी शुल्क को सामान्य 2% की दर में 1% की छूट प्रदान की गयी थी किन्तु निर्णय के क्रम में निर्णय की उपर्युक्त तिथि वर्ष 88 में समाप्त हो चुकी है।

इसी प्रकार सर्वश्री राजा राम श्रीवास्तव, मैनेजर, पी०टी०आई०, राम उग्रह, चीफ सब-एडिटर, दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा श्री के०के० श्रीवास्तव, पी०टी०आई० स्टाफ करेस्पान्डेसके प्रार्थना-पत्र पर शासन द्वारा लेवी शुल्क में छूट प्रदान की गयी थी जिससे सम्बन्धित आदेश सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ०प०शासन द्वारा निर्गत किया गया था।

श्री जे०पी०श्रीवास्तव द्वारा अध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को एक प्रत्यावेदन दिया गया है जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त सन्दर्भों एवं आर्थिक कारणों के कारण लेवी शुल्क से छूट देने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव:- श्री जे०पी० श्रीवास्तव, भूतपूर्व मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि० प्रा० के लेवी से छूट संबंधी प्रत्यावेदन के आधार पर लेवी शुल्क से छूट देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव ल०वि० प्रा० के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।



संख्या-3485/37-2-उपचबी 12711/85

प्रेषक,

श्री साऊं राम,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

आवास अनुभाग- 2

लखनऊ: दिनांक 7 अगस्त, 1985

विषय:-

डिग्रेडियर श्री दयाल मोहन गुप्ता, आवंटी भूखण्ड सं०-6, मोहन पुरी मेरठ को उक्त प्लॉट पर भवन न बनाये जाने हेतु परिषद को देय अनिर्माण शुल्क न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 6047/सं०प्र०-3 दिनांक

11-7-85 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों

को अन्य आवंटियों की तुलना में भवन निर्माण का संसाधन जुटाना कतिपय

कारणों से कठिन होता है। सरकारी कर्मचारियों के आय के साधन सीमित

होते हैं जिसमें उन्हें न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है

बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी भार उठाना पड़ता है। खर्च की

मात्रा काफी कुछ व्यय हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारी के पास भवन

निर्माण के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन सुलभ करा पाना कठिन होता है।

सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु जो अग्रिम व्यवस्था रखी गई है, सीमित

संसाधनों के कारण, उससे सभी की मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती। भवन

निर्माण के लिए सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अपेक्षित अवकाश की भी

सुलभता संदिग्ध रहती है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए भूखण्डों

पर निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न किए जाने के प्रकरणों पर

आरोपित किए जाने वाले अनिर्माण शुल्क के प्रश्न पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक

विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तर 1 में उल्लिखित

837/मसा/6  
19-9-85  
संख्या 520/प्र  
दिनांक 12/8/85  
Inder  
सचिव  
कृपया  
आंकड़ा 3  
(बाबू राम)  
आई. ए. एस.  
98/85  
उपाध्यक्ष  
विनायक प्राधिकरण  
केशव प्रसाद  
(शंलेश कश्यप)  
सचिव 2-  
विकास प्राधिकरण, लखनऊ  
Soni Prady  
कृपया  
12/8  
23/8

कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के मामलों में निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न हो पाने की दशा में अनिर्माण शुल्क को आरोपित करना न्यायोचित नहीं है। ऐसे प्रकरणों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे जिन मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों द्वारा शपथ पत्र पर अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता है उन पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किया जाय।

3- कृपया तदनुसार ब्रिगेडियर डी०एम० गुप्ता तथा अन्य ऐसे लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश आज की तिथि से ही प्रभावी माने जायेंगे और जिन मामलों में अनिर्माण शुल्क आरोपित कर जमा कराया जा चुका है वह इससे प्रभावी न होंगे।

भवदीय,

सज्जं राम  
संयुक्त सचिव।

संख्या-3485 11 1/37-2-3एचबी 1271 1/85

प्रतिलिपि:-

1- उपाध्यक्ष, <sup>मानक</sup>समस्त विकास प्राधिकरणों, को तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

आज्ञा से,

सज्जं राम  
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

जे०पी० आवास्तव,  
निदेशक,  
विभागीय सेवा, उत्तर प्रदेश,  
1/3, बटलर पैलेस,  
लखनऊ ।

D-1960/साखी  
23/2/79

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।

50 नंबर 3  
द्वारा प्रेषित  
By hand लिखी  
आवेदन नंबर 122/180310-3  
आवेदन के लिए  
आवेदन के लिए  
आवेदन के लिए

विषय:

भूखण्ड संख्या बी-1/89 सेक्टर-जी, अलीगंज आवास्त संव नगर  
विस्तार योजना में भूखण्ड पर विलम्ब से भवन निर्माण के लिए  
पेनाल्टी से मुक्त करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह निवेदन

करना है कि भूखण्ड संख्या बी-1/89 सेक्टर-जी अलीगंज आवास्त संव नगर विस्तार  
योजना के अंतर्गत लीज डीड 2 मई, 1989 को मेरे पत्र में निबन्धित की गई  
थी और शर्तों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के अन्दर भवन बना देने की इस लीज  
डीड की एक शर्त थी परन्तु जैसा कि प्रस्तर-2 में बताया गया है यह विशेष  
परिस्थितियों में संभव नहीं हो सका ।

To be  
put up for  
the 2nd  
meeting  
on 11.2.89

121 प्रस्तर-1 में 5 वर्ष से अधिक के अन्दर संबंधित भूखण्ड पर भवन  
निर्माण न कराने के कारण जो करीब ₹ 20,000 की पेनाल्टी मेरे ऊपर लगाई  
गई है उसे निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के  
समक्ष रख करके सहानुभूतिपूर्वक विचार करके माफ कराने की महान कृपा करेंगे ।

1क। उ०प्र० अरबन डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट 1976 के प्रावधानों के अनुसार  
शासन की ओर से मैं इस प्राधिकरण का प्रथम मुख्य सेवाधिकारी नियुक्त होने  
के कारण मैंने कुशल वित्तीय प्रबन्ध के द्वारा प्राधिकरण को एक मजबूत आधार  
प्रदान किया और विभिन्न प्रकार के रिहाइसों को सुनियोजित ढंग से रखवा  
करके एक ठोस आधार दिया और मेरी सेवाकाल 23-9-78 से 15-7-82 पूर्वान्ति  
था ।

S.T. ef2  
URGENT  
W.C./J.E. 122/180310-3  
02/3/89  
दो सालों के साथ  
पत्राचार फा: 4/3/89  
तक को प्रत्यक्ष सलूत करें।  
122/180310-3  
01/3/89

1ख। जिस अवधि में मैंने मुख्य सेवाधिकारी का कार्य किया था उसी समय  
विभिन्न अवधियों में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति के पद का अतिरिक्त भार अपने  
कर्तव्यों के साथ-साथ बिना किसी अतिरिक्त पारिवर्तिक या वेतन के निष्पादित  
किया जिससे कि विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति के सुनियोजित ढंग से निबन्धन,  
निस्तारण करके प्राधिकरण को अपनी सेवा अवधि में करोड़ों रुपये की आय के  
साधन उपलब्ध कराएँ ।

1ग। जब 1 फरवरी, 1981 को मैं हडको श्रम के तिलतिले में लखनऊ दिल्ली भेल से दिल्ली प्रस्थान कर गया तो उसी रात मेरे निवास स्थान पर परिवार के सदस्यों के शेर मौजूदगी में एक राहजनी हुई जिसकी स्फ0आई0आर0 मेरे पड़ोसी श्री बी0एल0 सिंह यादव जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे के द्वारा 2-2-1981 को धाना हसनगंज में लिखाई गई थी और जब मैं 3-2-81 की रात में वापस आया तो मेरे निवास स्थान एम0जी0-28 सेक्टर-सी अलीगंज में पुलिस द्वारा ताला लगा देने की सूचना मिलने पर दूसरे दिन पुलिस की मौजूदगी में उन्हें 35,000 रुपये के कैश और मेरे विविध अन्य सामान की चोरी की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इस चोरी से मुझे और मेरी पत्नी और एक मात्र पुत्री को गहरा सदमा लगा तथा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा जो कदाचित्त सरकारी ढाँचे पर मेरे द्वारा दिल्ली प्रस्थान न करने पर न होता। चोरी के कारण मेरी धर्मपत्नी बीमार रहने लगी और उन्हें समय-समय पर डाक्टर का उपचार कराना पड़ता था।

1घ। अक्टूबर, 1982 में ही मेरी धर्मपत्नी की मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें एक दूसरा सदमा पड़ा जिससे की उनकी हालत चिन्ताजनक हो गई थी।

1ङ.। 1 अगस्त, 1983 को मैं अपने वर्तमान निवास स्थान 1/3 बटलर पैलेस में स्थानान्तरित होने के कुछ ही दिनों बाद एक के बाद एक-दो-तीन महीने के अन्तराल में मेरी धर्मपत्नी अस्वस्थ रहने लगी थी जिससे उनका इलाज डा0 मंसूर हसन, डा0 अरुण प्रकार और अन्य मशहूर डाक्टरों से समय-समय पर कराना पड़ा परन्तु उनकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। 25 नवम्बर 1984 को उन्हें बलरामपुर अस्पताल में लखनऊ में "इन्सेन्टिव केयर यूनिट" में भर्ती कराया गया जहां एक माह के उपचार के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 25 दिसम्बर, 1984 को उनकी मृत्यु हो गई।

1च। उनकी मृत्यु के पश्चात मेरे पास एक मात्र पुत्री ही रह गई थी जिसकी शादी करना तथा उसकी चल रही रिजर्व कोर्स की तरफ ही ध्यान केन्द्रित हो सका और उसकी पाणिग्रह संस्कार 18 जून, 1988 को सम्पन्न हो जाने के बाद ही मैं भवन निर्माण की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित कर सका।

जैसा कि प्रस्ताव-2 में बताया गया है कि 5 वर्ष की अवधि के अन्दर एक के बाद एक इतनुकार की परिस्थितियाँ उपस्थित होती रहीं जिनमें जहाँ एक ओर मेरी धर्मपत्नी की हालत एक चिन्ता का विषय बनी रही वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त बिग्रीकर के कार्यालय में कार्य के बोझ के कारण मुझे प्रायः 9 बजे प्रातः से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक कार्य करना पड़ता था। इस कार्य के कारण मैं उनकी चिकित्सा पर उतना ध्यान नहीं दे सका जितना देना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि विकास प्राधिकरण और बिग्रीकर विभाग को तो मेरी सेवा से आर्थिक लाभ हुआ परन्तु मुझे व्यक्तिगत परेशानियों के कारण न तो यह संभव था कि मैं मकान बनाने के लिए भवन चित्र प्राप्त करा लेता क्योंकि यह भी संभव था कि मेरी धर्मपत्नी की बिमारी अधिक समय तक चलती तो उनके उपचार के सिलसिले में यह प्लानट बेचने की नौबत आ सकती थी। इतना ही नहीं मैं उस अवधि में मकान बनाने की बात ही नहीं सोच सकता था इसलिये मेरे द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर मकान नहीं बनाया गया तो इसमें मुझे आर्थिक हानि ही पहुँची और भाग्य की विडम्बना और परिस्थितियों के कारण ऐसा कर सकना संभव नहीं था। परन्तु जो लाभ विकास प्राधिकरण और शासन को हुआ उसको ध्यान में रखते हुए एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी को सेवानिवृत्त से पाँच माह पूर्व इतनुकार की पेनाल्टी लगाया जाना कानूनी ढंग से सही हो सकता है परन्तु विशेष परिस्थितियों को देखते हुये मानवता की दृष्टि से एक सेवा निवृत्त अधिकारी को इतने मुक्ति दिला करके सेवा निवृत्त के बाद शांति का जीवन व्यतीत करने में सहायक हो सकता है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामने रख करके विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार की छूट प्रदान करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करके उपोद्घोस्तावरत्ता को अनुग्रह करने की कृपा करें।

भवदीय,

५-५ २२ ३/१/९९  
। वे० पी० श्रीवास्तव ।  
निदेशक,

विभागीय सेवा, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन ।
- 2- आयुक्त, लखनऊ महानगर, लखनऊ ।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त को इस अनुरोध के साथ कि वित्त प्रतिनिधि के रूप में जो अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने जाये उसे आवश्यक निदेश देने की कृपा करें ।

। वे० पी० श्रीवास्तव ।

निदेशक,

विभागीय सेवा, उत्तर प्रदेश ।

लम्बित योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु गठित उपसमिति दिनांक 12.4.89 का कार्यवृत्त:-

उपसमिति की बैठक में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई:-

- |    |                    |                      |              |
|----|--------------------|----------------------|--------------|
| 1. | उपाध्यक्ष          | लखनऊ विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष      |
| 2. | डायो बी.एन खन्ना   | लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य        |
| 3. | सचिव               | लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य/सचिव   |
| 4. | मुख्य अभियंता      | लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य        |
| 5. | मुख्य नगर नियोजक,  | लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य        |
| 6. | सलाहकार भूमि-अर्जन | लखनऊ विकास प्राधिकरण | सदस्य/संयोजक |

बैठक में निम्नांकित योजनाओं पर विचार-विमर्श करने के उपरांत उनके समक्ष वर्णित निर्णय लिया गया।

1. हाता रानी साहिबा मलिन बस्ती सुधार योजना 0.71 एकड़

निर्णय:-

इस योजना के सम्बन्ध में मौके की स्थिति जिसमें निर्माण से आच्छादित भूमि का विवरण सम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण तथा अनाच्छादित भूमि की स्थिति सम्बन्धी पूर्ण आख्या 10 दिनों के अन्दर उपसमिति की आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 में प्रस्तुत की जाये।

2. अशोक मार्ग पर आवासीय योजना 1.59 एकड़

निर्णय:-

इस भूखण्ड के बारे में बताया गया है कि यह नजूल भूखण्ड पट्टे पर आबंटित है। अतः यह निर्णय लिया गया कि नजूल विभाग से पट्टेदारों की सूची तथा पट्टे की अवधि की आख्या ली जाये और यह विवरण आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 में प्रस्तुत किया जाये कि पट्टेदारों द्वारा निर्माण किये गये हैं अथवा अनाधिकृत निर्माण किये जा रहे हैं। कि, सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

3. चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप पब्लिक फेसिलिटी योजना 1.11 एकड़

निर्णय:-

यह भूखण्ड नजूल विभाग द्वारा मोती लाल ट्रस्ट को दी गयी है और इस समय उक्त सोसाइटी द्वारा संचालित बाल विद्या मंदिर विद्यालय के खेल के मैदान के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। विद्यालय की भूमि होने के कारण उपसमिति द्वारा इस योजना को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4. अलीगंज सब्जी मण्डी योजना 0.98 एकड़

निर्णय:-

इस भूखण्ड में एक प्राइमरी स्कूल तथा कुछ अन्य निर्माण है। उपसमिति

Retified by  
the

15/4

ने निर्देश दिये कि इस ब्लॉक के गौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की आख्या आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 को विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

5. स्टेशन रोड पर कार्मिशयल कम आवासीय योजना 1.02

निर्णय:-

इस ब्लॉक में बताया गया कि अधिकतर भूमि निर्माणों से आच्छादित है जो जीर्ण शीर्ष अवस्था में है, जिसमें 13 दुकानें तथा 3 व्यक्तियों के मकान हैं। उपसमिति ने निर्णय लिया कि मुख्य नगर नियोजक इस योजना की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी आख्या समिति के समक्ष आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 में सम्मिलित के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।

6. लाल बाग व्यवसायिक योजना 7.90

निर्णय:-

इस ब्लॉक में बताया गया कि सम्पूर्ण भूमि में पुराने मकान बने हुये है तथा उनके बीच स्थित भूमि पड़ी हुई है। उपसमिति ने निर्णय लिया कि इस योजना का स्थानीय निरीक्षण करने के उपरांत सम्पूर्ण आख्या उपसमिति की आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 में प्रस्तुत की जाये।

7. बटलरगंज ब्लॉक सं0- 38, 39, 40, 41 एवं 41ए पर योजना 11.3

निर्णय:-

इस योजना के 9-10-5-15 भूमि पर नूर सहकारी गृह निर्माण समिति के पक्ष में शासन ने अर्जन से मुक्त किये जाने के आदेश दिनांक 23 मई 87 को पारित किये थे। अतः उपसमिति ने निर्णय लिया कि शासन द्वारा मुक्त भूमि 9-10-5-15 के सम्बन्ध में अर्जन प्रस्ताव समाप्त किये जाये। तथा नूर सहकारी गृह निर्माण समिति का प्रस्तुत भूमि विन्यास मानचित्र पर अनापत्ति दे दी जाये।

अवशेष भूमि 8-11-3-10 के सम्बन्ध में बताया गया कि 75 हजार वर्ग फिट ब्लॉक के पट्टे जो खाली पड़ी हुई है, को छोड़ कर समस्त अवशेष भूमि पर पट्टेदार के भवन निर्मित है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि नजूल विभाग से विस्तृत आख्या प्राप्त कर समिति के विचारार्थ आगामी बैठक दिनांक - 26.4.89 को प्रस्तुत की जाये।

8. महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना 8.10

निर्णय:-

इस ब्लॉक में 55 व्यक्तियों के मकान, 12 दुकानें तथा 2 कार्यालय स्थित है। इसी भू क्षेत्र में नजूल विभागकी एक पट्टी के रूप में पड़ी हुई जमीन है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि नजूल विभाग से आख्या प्राप्त कर नजूल विभाग से सम्बन्धित ब्लॉक को छोड़कर अवशेष भू-भाग पर योजना

समाप्त करने की संस्तुति की जाये।

9. न्यू हैदराबाद स्थित प्लॉट सं०-440/12 बी पर योजना

0.76

निर्णय:- यह भूखण्ड एक व्यक्तिगत सम्पत्ति है तथा भवन निर्माण हेतु मानचित्र भी प्राप्त हो चुका है। इस 0.76 एकड़ भूखण्ड पर एकाकी योजना नहीं बनाई जा सकती है। अतः समिति इस योजना को समाप्त किये जाने की संस्तुति करती है।

10. प्रयागपुरहाउस नम्बर -1 पर योजना 1.38

निर्णय:-

हुनमान मंदिर के समीप युनीवर्सिटी रोड पर स्थित इस भूखण्ड पर एक योगिक केन्द्र प्रेट्रोल पम्प तथा मकान निर्मित है। अवशेष भूमि पर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी योजना बनाई है। अतः निर्णय लिया गया है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी के स्वामित्व की जांच तथा स्थानीय निरीक्षण करने के उपरांत आख्या दी जाये। उपसमिति की आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 को प्रस्तुत की जाये।

11. प्रयागपुर हाउस नं०-2 पर योजना 1.28

निर्णय :-

इस भूखण्ड का भी स्थानीय निरीक्षण कर उपयुक्तता हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ आख्या प्रस्तुत की जाये। उपसमिति की आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 को प्रस्तुत की जाये।

12. हरदोई रोड पर योजना भाग-2 0.422

निर्णय:-

समिति ने निर्णय लिया है कि इस योजना के अधिग्रहण की कार्यवाही को अग्रसर किया जाये।

13. शाहनजफ के आस-पास की भूमि पर कार्यालय एवं व्यवसायिक योजना 7.62

निर्णय:-

इस योजना की भूमि शाहनजफ ट्रस्ट की है और जिलाधिकारी ने इस भूमि के अर्जन में न्याय संगत नहीं बताया गया है तथा प्रस्ताव को वापस कर दिया है। अतः समिति ने शाहनजफ ट्रस्ट के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुये इस योजना को समाप्त किये जाने की संस्तुति की है।

14. राधा ग्राम आवासीय योजना 523.78

निर्णय:-

इस योजना के अधिग्रहण की कार्यवाही को अग्रसर किये जाने की संस्तुति की जाती है।

15. नूर बाड़ी आवासीय योजना 12.07

निर्णय:-

उपसमिति ने निर्णय लिया कि स्थानीय निरीक्षण के उपरांत आख्या आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 को प्रस्तुत की जाये।

✓ 16. विधान सभा मार्ग पर स्थित होटल एवं उसके आस-पास की भूमि का अर्जन 4.02

निर्णय:-

इस योजना में बार्लिगटिन <sup>होटल</sup> एवं विद्युत निरीक्षण उत्तर देश का कार्यालय स्थित है। बार्लिगटिन होटल तथा राजकीय कार्यालय स्थित होने के कारण इस भूमि का अधिग्रहण उचित नहीं है। अतः समिति इस योजना को समाप्त किये जाने की संस्तुति करती है।

17. राणा वृत्ताप मार्ग पर आवासीय योजना 3.16

निर्णय:-

उप समिति ने इस योजना के अधिग्रहण कार्यवाही को अग्रसर किये जाने की संस्तुति की जाती है।

18. नेपियर रोड योजना भाग-4 19.50

निर्णय:-

उप समिति ने निर्णय लिया कि इस योजना के अधिग्रहण की कार्यवाही को अग्रसर रखा जाये।

19. 80पी० सेन रोड योजना 1.41

निर्णय:-

नजूल विभागत आख्या प्राप्त करने तथा स्थानीय निरीक्षण करने ~~तथा~~ का निर्णय उपसमिति <sup>के संज्ञा</sup> द्वारा किया गया/समूर्ण आख्या दिनांक 26.4.89 की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

20. जियामऊ आवासीय योजना 60.41

निर्णय:- कृ०प०क०

निर्णय:-  
=====


उपसमिति ने निर्णय लिया निरीक्षण के उपरांत आख्या उपसमिति की आगामी बैठक दिनांक 26.4.89 को प्रस्तुत की जाये।

21. फातिमा अस्पताल हेतु भूमि का अर्जन

0.1215  
=====

निर्णय:-  
=====

यह छोटा भूखण्ड व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्र में है जिससे यह अधि-ग्रहीत करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसे एक निजी संस्था के लिये भूमि अधिग्रहण का मूल प्रस्ताव बनाया गया था। अतः उपसमिति द्वारा समाप्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

  
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥

सचिव,  
→



15.4

विषय संख्या: 8

पृष्ठ संख्या:

विषय:

भूखण्ड संख्या: 424, न्यु0टी0जी0सिविल लाइन्स पर "पुरी अपार्टमेंट्स" के प्रस्तावित आवासीय बहुखण्डीय भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त मामले में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 1988 के प्रस्ताव संख्या: 10 द्वारा उपसमिति गठित की गई थी जिसकी अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 के प्रस्ताव संख्या: 18 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया था:-

" " ट्रस्ट भूखण्डों पर विल्डिंग बाई-लाज़ तथा मास्टर प्लान के प्राविधानों को दृष्टगत रखते हुए ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति प्रदान की जाये परन्तु शर्त यह होगी कि ट्रस्ट भूमि पट्टा धारक को बहु-आवासीय इकाइयों की अनुमति सहित नया पट्टा लेना होगा जिसके लिये प्रीमियम और लीज़रेन्ट सम्बन्धी वही नियम लागू होंगे जो कि नये नजूल पट्टों के लिये लागू होते हैं। "

उपरोक्त निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है। श्री रवि पुरी के साथ सचिव, नगर विकास के कक्ष में हुई बैठक में श्री पुरी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शासन के अ0शा0 प0स0:875/37-89/18/कम्प/89, दिनांक मार्च, 9/13, 1989 द्वारा उक्त योजना के भूखण्ड संख्या: 425, 430, 403, 440/11, 440/12ए, 500, 512 एवं 542ए/डब्लू आदि पर एक से अधिक भवनों के निर्माण की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी जाँच करके विकास प्राधिकरण की बैठक में रखकर पुर्नविचार करने का निर्देश दिया गया है। इस सम्बन्ध में खोज-बीन करने पर उक्त योजना के दो भूखण्डों की पत्रावलियाँ उपलब्ध हो पाई हैं जिनमें से एक की सब-डिवीज़न फ़ीस जमा करके दो पार्ट में विभाजित किया गया है:

§1§	<u>भूखण्ड संख्या: 500</u>		
1-	500 ए	सर्व श्री असफ़क़ अहमद व मोहम्मद नईम	
2-	500 बी	श्री जगन्नाथा सिर	
§2§	<u>भूखण्ड संख्या: 512</u>		
	इसको पारिवारिक बटवारे के आधार पर निम्न प्रकार विभाजित किया गया है।		
	इनका नाम संयुक्त रूप से अंकित किया गया है:-		
§1§	श्री अब्दुल मारुफ़		1/5 भाग
§2§	श्रीमती हमीदा सलीम		1/5 भाग
§3§	श्री जावेद अख़्तर एवं सलमान अख़्तर	नावालिग	1/5 भाग
§4§	श्री सिराजुल हक़		2/5 भाग

उपरोक्त से स्थिति स्पष्ट है कि किसी भूखण्ड पर अभी तक बहुखण्डीय भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है।

अतः प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त स्थिति के साथ अ0शा0पत्र के विन्दु:6 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तुत है।  
sub division हेतु मीले' तो मीले' review एवं  
पूर्व निर्माण जो किया गया है उसे  
अतः आवश्यकता नहीं है

spot enquiry  
अनुसंधान के लिए  
स्थिति जांच  
श्री 3 पत्रावलियाँ  
श्री मीले' निर्माण  
अतः आवश्यकता नहीं है  
अनुसंधान के लिए  
श्री मीले' जांच

पर अग्रवाल  
संयुक्त सचिव



अर्द शा0पत्रांक-875/37-389/18 कास्य/89

आवास एवं नगर विकास  
उत्तर प्रदेश शासन  
आवास अनुभाग-3

तस्वतः दिनांक मार्च 9, 1989

13

4358/VC/1  
11-3-89  
20-3-89  
25-3-89

प्रिय महोदय,

कृपया अपने अर्द शासकीय पत्रांक 382/उपा0/सी0 दिनांक 3 मार्च, 1989 का सन्दर्भ लेने की कृपा करें, जो भूखण्ड सं0 424 न्यू8 टी0 सी0 सिविल लाइन्स पर "पुरी अपार्टमेंट्स" के प्रस्तावित आवासीय बहुखण्डी भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में है।

2- सचिव महोदय के कक्ष में हुए विचार-विमर्श के दौरान श्री रवि पुरी द्वारा यह अज्ञात कराया गया था कि भूखण्ड संख्या 425 एवं 430 पर एक से अधिक भवनों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी गई थी, जबकि इसी प्रकार की अनुमति उनके भूखण्ड संख्या 424 पर नहीं दी गई। प्रश्नगत पत्र में आपके द्वारा यह कहा गया है कि आपके द्वारा उपरोक्त दोनों भूखण्डों के भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में जांच करायी गयी। भूखण्ड संख्या 425 पर 9 वर्ष पूर्व भू-विभाजन प्लान स्वीकृत किया गया था और भूखण्ड संख्या 430 पर तत्कालीन विभाग द्वारा 11.01.89 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करा दिया गया, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार श्री रवि पुरी के कथन को दोनों ही मामलों में तथ्यात्मक पाया गया।

3- अब श्री रवि पुरी द्वारा यह अज्ञात कराया गया है कि हम्पुवमेंट ट्रस्ट के कुछ अन्य भूखण्डों पर भी एक से अधिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जबकि उनके भूखण्ड संख्या 424 पर बहुखण्डी भवन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इस प्रकार के भूखण्ड संख्या 403, 440/11, 440/12ए, 500, 512, 542ए/डब्लू आदि हैं।

4- सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप कृपया 7 दिन के अन्दर हम्पुवमेंट ट्रस्ट के इन भूखण्डों की जांच कराना सुनिश्चित करें, जिनमें कदाचित्त एक से अधिक भवन के निर्माण की स्वीकृति

उपरोक्त प्रायोजक  
संख्या 1378/आवास  
दिनांक 15-3-89

अतः  
सचिव

बि.पू.  
(अरुण सिध)  
उपाध्यक्ष  
विकास प्राधिकरण  
बनारस  
14/3/89

VC (A)  
Agenda  
दिनांक विभागीय  
सचिव  
विकास प्राधिकरण

(A)

दी गई है। यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारों पर स्क्रू  
से अधिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तब कदाचित्  
प्रश्नगत मामले में एक से अधिक भवन निर्माण कराने की स्वीकृति न दिये  
जाने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि यह Discriminatory होगा।

5- इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में जांच  
पूर्ण करा कर विकास प्राधिकरण की एक इमरजेंसी बैठक अतिशीघ्र बुलाकर  
इस बिन्दु पर पुनर्विचार कर लें और शासन को कृत कार्यवाही से अवगत  
करायें।

6- जहाँ तक दो तिहाई प्रीमियम का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध  
में भी विकास प्राधिकरण की बैठक में पुनर्विचार कर लें क्योंकि कदाचित्  
विविध दृष्टि से पट्टे की पूर्ण अवधि समाप्त होने से पूर्व प्रीमियम लिया  
जाना उचित नहीं है। जहाँ उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में पट्टे का  
प्रयोज्य नहीं बदला जा रहा है।

भवनिष्ठ,

24/11

13/3

॥ शंकर अग्रवाल ॥

श्री अरुण कुमार मिश्र,  
उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
 = = = = =  
 15 अप्रैल, 1989 का कार्यवृत्त  
 = = = = =

उपस्थिति:

- |     |                       |  |
|-----|-----------------------|--|
| 1.  | श्री अजय विक्रम सिंह  | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं<br>अध्यक्ष, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण ।             |
| 2.  | श्री अरुण मिश्र       | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण एवं प्रशासक,<br>नगर महापालिका, लखानऊ । |
| 3.  | श्री अजित सेठ         | ज़िलाधिकारी, लखानऊ ।   |
| 4.  | श्री आर०एम०श्रीवास्तव | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश<br>शासन, वित्त विभाग ।                          |
| 5.  | श्री विष्णु स्वस्र    | विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश<br>शासन, आवास एवं नगर-<br>विकास विभाग ।           |
| 6.  | श्री एन०आर०वर्मा      | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,<br>उत्तर प्रदेश के स्थान पर ।                  |
| 7.  | श्री आर०एम०निगम       | प्रबन्धक निदेशक, जलनिगम<br>के प्रतिनिधि ।                                  |
| 8.  | श्री प्रेम शंकर       | अपर महानिदेशक/संयुक्त सचिव,<br>सार्वजनिक उद्दयम ब्यूरो, उ०प्र०             |
| 9.  | डा० वी०एन०खान्ना      | सदस्य, लखानऊ विकास<br>प्राधिकरण ।  |
| 10. | श्री एम०ए०एम०खान,     | विशेष आमन्त्री,<br>लखानऊ विकास प्राधिकरण ।                                 |

अन्य उपस्थिति:

श्री दिवाकर त्रिपाठी                      सचिव, लखानऊ विकास  
प्राधिकरण ।

x=x=x=x=x=x=x

विज्ञाप संख्या: 1                      लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक  
दिनांक 11 फरवरी, 1989 के कार्यवृत्त  
का पुष्टिकरण ।

निर्णय:                                      लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक  
11 फरवरी, 1989 के कार्यवृत्त की पुष्टि  
निम्नांकित संशोधनों के साथ की गई :-

कृपया:—

§1§ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 89 में पार्क रोड पर स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर चल रहे निर्माण पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटाने का निर्णय लिया गया क्योंकि एक बार मानचित्र स्वीकृत हो जाने के उपरान्त मानचित्र निरस्त करने अर्थात् स्थागित करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम में नहीं है।

§2§ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27-10-89 के प्रस्ताव संख्या: 2 पर लिये गये निर्णय के क्रम में श्री जे०पी० भार्गव की अस्वस्थाता के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि श्री भार्गव के प्रतिनिधि के समक्ष श्री एन०आर०वर्मा, नगर नियोजक, उपसमिति में नामित किये जाते हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि इस उप-समिति द्वारा स्कूटनी पूर्ण करके बोर्ड को आख्या प्रस्तुत करने तक पार्क रोड क्षेत्र में कोई मानचित्र स्वीकृत न किया जाये।

§3§ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 के विषय संख्या: 6§2§ में उल्लिखित निर्णय को निम्नवत् संशोधित किया गया :-

“ भावन की ऊंचाई 82 फिट रखाने की स्वीकृति दी जाये। ”

§4§ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 26-4-88 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्णय 6§3§ को निम्नवत् संशोधित किया गया :-

“ पब्लिक पार्किंग हेतु डबल बेसमेन्ट बनाकर अधिकतम फ्लोर सरिया बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर किया जायेगा परन्तु उसकी शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

गाड़ियों की किराये की दर का निर्धारण जीवन बीमा

निगम द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की सहमति से किया जायेगा और किसी भी समय पब्लिक पार्किंग एरिया का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार प्राधिकरण को होगा। जीवन बीमा निगम पब्लिक पार्किंग हेतु निर्धारित सम्पूर्ण एरिया प्रत्येक समय जन-सामान्य के लिये उपलब्ध रखेगा। यह पार्किंग क्षेत्रफल उस पार्किंग एरिया के अतिरिक्त होगा जो जीवन बीमा निगम के भावन हेतु नियमानुसार वांछित है।

विज्ञाप संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 1989 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

नोट किया गया।

विज्ञाप संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक, 1989-90

निर्णय :

उपाध्यक्ष ने मूल बजट वित्तीय वर्ष, 1989-90 के प्राविधानों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अवगत कराया तथा विस्तृत स्म से विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से बजट यथावत् पारित करते हुए निम्नांकित निर्देश भी दिये गये :-

§ 1 § जहाँ भूमि अर्जित करके योजनायें विकसित की जा रही हैं। उक्त योजनाओं में पड़ने वाले गाँव के लोगों को बेसिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें तथा बायो गैस आधारित सुलभा शौचालय बनवाए जायें।

§ 2 § बजट पर चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि महायोजना के दिशा-निर्देशों की समझता में आगामी पाँच वर्षों के लिये प्राधिकरण का परस्पेक्टिव प्लान और तदनुसार वार्षिक बजट बनाने के लिये एक स्थायी समिति गठित की जाए जिसमें निम्नांकित

सदस्य होंगे :-

1. सचिव, वित्त अथावा उनके प्रतिनिधि
2. डायरेक्टर वी०एन०एच०एन०, सदस्य, ल०वि०प्र०
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
4. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण
5. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
6. कास्ट एका०कम०इको०प्लानर, ल०वि०प्र०
7. मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त समिति के संयोजक, मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण होंगे ।

विषय संख्या: 4

ला-प्लास स्थात 144 भावनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि निम्नवत् परीक्षा करके प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत हो :-

1. अनुबन्धित इस स्टेज पर समाप्त करने से ठेकेदार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ तो नहीं पहुँच रहा है ? अवशोषण कार्य पूरा करने में कितनी लागत आने का अनुमान है ?
2. अवशोषण कार्य जिन आइटमों पर होना है, वे आइटम आर्बीट्रियन के विषय वस्तु तो नहीं हैं ?
3. इस प्रस्ताव के आर्थिक परिणामों की सही-सही गणना कर ली जाए कि यदि ठेकेदार से अवशोषण कार्य पूर्ण कराया जाता है तो क्या लागत आएगी और प्राधिकरण यदि इसे स्वयं करायेंगा तो क्या लागत आएगी । दोनों में कितना अन्तर होने का अनुमान है । कृत कार्य एवं अवशोषण कार्य की सही मापें दर्शाई जाए ।
4. प्रकरण को विस्तृत टिप्पणी सहित नगर विकास विभाग के माध्यम से विधि विभाग की राय प्राप्त करने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाए ।

- विज्ञाप संख्या: 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवन/भूखण्डों के सम्बन्ध में विवरण ।
- निर्णय : अवलोकित किया गया ।
- विज्ञाप संख्या: 6 श्री जे०पी०श्रीवास्तव, भूतपूर्व, मुख्य लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवन्टित भूखण्ड संख्या: बी-1/89, सेक्टर "जी" अलीगंज योजना के भवन निर्माण में लेवी शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विज्ञाप संस्तुति सहित शासन को भोजा जाए ।
- विज्ञाप संख्या: 7 लम्बित योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु गठित उप-समिति, दिनांक 12-4-89 के कार्यवृत्त पर विचार ।
- निर्णय : लम्बित योजनाओं के सम्बन्ध में गठित उप-समिति दिनांक 12-4-89 के कार्यवृत्त पर विस्तृत स्म से विचार विमर्श के पश्चात् निम्नांकित योजनाएं समाप्त कर दी गई :-
- §1§ चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप पब्लिक फैसलिटी योजना §2§ न्यु हैदराबाद स्थित प्लॉट संख्या: 440/12 बी पर योजना §3§ शाह नजफ के आस-पास की भूमि पर कार्यालय एवं व्यवसायिक योजना §4§ विधान सभा मार्ग पर स्थित होटल एवं उसके आस-पास की भूमि का अर्जन §5§ फ़ातिमा अस्पताल हेतु भूमि का अर्जन §6§ महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग पर व्यवसायिक कम आवासीय योजना में नजूल भूखण्डों को छोड़कर अवशेषा भू-भाग पर से परियोजना समाप्त कर दी जाये ।
- विज्ञाप संख्या: 8 भूखण्ड संख्या: 424, न्यु टी०जी०सिविल लाइन्स पर "पुरी अपार्टमेंट्स" के प्रस्तावित आवासीय बहुखण्डीय भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।
- निर्णय : निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास के पत्र में वर्णित समस्त भूखण्डों की पत्रावलियां निकलवाकर सब-डिवीज़न के सम्बन्ध में आपत्त रखा जाए । स्थल निरीक्षण के द्वारा यह

जांच करा ली जाए कि प्रत्येक भूखण्ड पर किस-  
किस व्यक्ति का क्या-क्या निर्माण स्थित है ।  
यदि किसी भूखण्ड का रिकॉर्ड उपलब्ध न हो  
तो मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों से उनके रिकॉर्ड की  
प्रतिलिपि प्राप्त कर ली जाए !

ह0/-  
॥ दिवाकर त्रिपाठी ॥  
सचिव

ह0/-  
॥ अरुण मिश्र ॥  
उपाध्यक्ष

अ नु भो दि त  
=====

ह0/-

॥ अजय विक्रम सिंह ॥  
आयुक्त  
लखनऊ मण्डल एवं  
अध्यक्ष  
लखनऊ विकास प्राधिकरण